

वार्षिक प्रतिवेदन (2018-19)



केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
सांवधिक निकाय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अर्न्तगत

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.0	प्रस्तावना	1
1.1	दृष्टि	1
1.2	लक्ष्य	1
1.3	उद्देश्य	1
1.4	कार्य	2
2.0	शासन	2-3
2.1	अधिशाली निकाय	4-5
2.2	प्रशासनिक समिति	5-6
2.3	तकनीकी समिति	6-8
2.4	चिड़ियाघरों की संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह	8-10
3.0	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सचिवालय में नियुक्तियाँ	10
4.0	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य	10
4.1	चिड़ियाघरों का तकनीकी मूल्यांकन	10-13
4.2	2018-19 के दौरान मान्यता प्रदत्त चिड़ियाघर	13-15
4.3	नये चिड़ियाघरों की स्थापना	16-18
4.4	कारण बताओ नोटिस जारी चिड़ियाघरों की सूची	18-20
4.5	मान्यता निरस्त चिड़ियाघर	20
4.6	30 मार्च, 2019 तक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची	20-26
4.7	चिड़ियाघरों के जानवरों की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के आधार पर मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों का पुनः वर्गीकरण	26
4.8	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के बीच वन्य प्राणियों का विनियम/स्थानांतरण	26
4.8.1	भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य कैप्टिव वन्य जीवों का विनियम	27-31
4.8.2	भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य विनियम प्रस्ताव	31-32
4.8.3	भारतीय चिड़ियाघरों से जानवरों के स्थानांतरण	32
4.9	चिड़ियाघर की प्रभावी योजना प्रक्रिया	33

4.9.1	मास्टर प्लान	33
4.9.2	मास्टर (ले-आउट) प्लान	33
4.10	अन्य	34
4.10.1	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वेबसाइट का पुनः विकास व स्थानांतरण	34
4.10.2	उपयोगिता प्रमाण पत्र	34
5.0	वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) का रखरखाव	34-35
6.0.	संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम	35
6.1	संरक्षण प्रजनन केन्द्रों को वित्तीय सहायता	35-37
7.0	मानव संसाधन विकास	38
7.1	प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी	38
7.2	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	39
8.0	अनुसंधान और शिक्षा	39-40
9.0	प्रकाशन	40-41
10.0	चिड़ियाघरों के लिये वित्तीय सहायता	41
10.1	चिड़ियाघरों में सुधार	41-43
10.2	बचाव केन्द्रों को अनुदान राशि का आबंटन	43-44
11.0	वार्षिक लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	44
अनुलग्नक- I अनुसूचियों सहित वार्षिक लेखे और वित्तीय विवरण		45-82
अनुलग्नक-II नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन		83-88

आधिप्राणित

(बाबुल सुप्रियो)

राज्य मंत्रा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन।

1. प्रस्तावना

बाबुल सुप्रियो
केन्द्रीय राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने देश में चिड़ियाघरों की स्थापना एवं रख रखाव के विस्तृत अध्ययन करने के लिए 18 नवंबर, 1972 को नई दिल्ली में आयोजित अपने नौवें सत्र में चिड़ियाघर के संबंध में 'चिड़ियाघरों पर विशेषज्ञ समूह' के रूप में अपने चिड़ियाघर विंग का पुनर्गठन किया। चिड़ियाघर संबंधी विशेषज्ञ समूह ने जून, 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे बोर्ड ने नवंबर, 1973 में स्वीकार किया था। रिपोर्ट में एक केन्द्रीय एजेंसी (चिड़ियाघर अनुदान आयोग) स्थापित करने तथा इसे लागू करने की सिफारिश की गई थी। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को 1991 में एक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में एक पृथक अध्याय, अध्याय IVA धारा 38A से 38J का समायोजन किया गया था। इसके अनुसार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में की गई।

1.1 दृष्टि

चिड़ियाघर में पारिस्थितिक तंत्र आधारित प्राकृतिक बाड़ों में स्वस्थ वन्यजीव होंगे, जो सक्षम एवं अनुभवी कर्मचारी, अच्छे शिक्षण एवं व्याख्यात्मक सुविधाओं, लोगों के समर्थन एवं स्वतः दक्षता के साथ इन-सीटू संरक्षण में सहायक होंगे।

1.2 लक्ष्य

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का लक्ष्य प्रबंधन की उत्कृष्ट परंपरा के माध्यम से भारत में चिड़ियाघरों में रखे गए वन्य जीवों की बेहतर स्वच्छता एवं चिकित्सा देखरेख तथा उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना और लोगों के बीच इस संबंध में शिक्षा एवं जागरूकता लाना है।

1.3 उद्देश्य

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य हैं:-

- क. भारतीय चिड़ियाघरों में वन्य जीवों के रख-रखाव एवं स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए न्यूनतम मानक एवं दिशा निर्देश लागू करना, और
- ख. अति अनियोजित एवं बदहाल चिड़ियाघरों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण।

1.4 कार्य

भारत में चिड़ियाघर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन विनियमित हैं तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1998 द्वारा मार्ग - निर्देशित हैं। भारत सरकार ने चिड़ियाघर मान्यता नियमावली सन 1992 में तैयार की थी। इसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की सिफारिशों पर चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के रूप में संशोधित किया गया। इन नियमों में देश के चिड़ियाघर प्रबंधन के लिए मानक एवं मानदंड निर्धारित किए गए हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण देश में चिड़ियाघरों के कार्यकलापों की निगरानी करता है तथा उनमें सुधार लाने के लिए तकनीकी एवं अन्य सहायता प्रदान करता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के धारा 38-सी के अधीन प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं:

- (क) चिड़ियाघरों में रखे गए जीवों के आवास, रख-रखाव एवं विकिसा देखरेख के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना;
- (ख) निर्धारित मानकों एवं दिशा- निर्देशों के अनुसार चिड़ियाघरों के कार्य-कलापों का मूल्यांकन एवं निर्धारण;
- (ग) चिड़ियाघरों को मान्यता देना या उनकी मान्यता रद्द करना;
- (घ) विलुप्त हो रहे वन्यजीवों की जातियों के संरक्षित प्रजनन के लिए उनकी पहचान करना तथा इस संबंध में चिड़ियाघर को ज़िम्मेदारी सौंपना;
- (ङ) प्रजनन के उद्देश्य से वन्यजीवों का अधिग्रहण, विनिमय एवं उधार देने में समन्वय स्थापित करना;
- (च) चिड़ियाघरों में प्रजनित वन्यजीवों की विलुप्त प्रजातियों की वंशावली (स्टडबुक्स) का रख-रखाव सुनिश्चित करना;
- (छ) चिड़ियाघरों में रखे गए वन्यजीवों के प्रदर्शन के संबंध में प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों की पहचान करना;
- (ज) भारत एवं विदेश में चिड़ियाघर कर्मचारियों के प्रशिक्षण में समन्वय;
- (झ) चिड़ियाघरों के प्रयोजनों के लिए संरक्षण/ संरक्षित प्रजनन एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में अनुसंधान तथा समन्वय;
- (ञ) चिड़ियाघरों को उनके समुचित प्रबंधन एवं वैज्ञानिक दिशा में उनके विकास में तकनीकी एवं अन्य सहायता प्रदान करना;
- (ट) ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करना जो चिड़ियाघरों के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने हेतु आवश्यक हों।

2.0 शासन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संचालन में सदस्य सचिव को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए 18 वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं। वे नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त/कार्यरत हैं।

निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी नियमित आधार पर केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण में कार्यरत हैं:-

क्र. सं.	पद का नाम	पदधारी का नाम	वेतन बैंड वेतन (राशि ₹ में)
1	सदस्य सचिव	डॉ. अनूप कुमार नायक (03.12.2019 से) डॉ. जी. एन. सिंह (03.12.2018 तक)	1,82,200-2,24,100 (वेतन स्तर - 16) 1,82,200-2,24,100 (वेतन स्तर - 15)
2	वित्त अधिकारी	श्री रविन्द्र सिंह रावत	56,100-1,67,800 (वेतन स्तर - 10)
3	निजी सचिव	श्रीमति सीमा बुरेजा	46,600-1,51,100 (वेतन स्तर - 8)
4	डाटा प्रोसेसिंग सहायक	श्री विवेक गोयल	44,600-1,42,900 (वेतन स्तर - 7)
5	वैयक्तिक सहायक	श्रीमति नीति गुलाटी	44,600-1,42,900 (वेतन स्तर - 7)
6	लेखाकार	श्री सुरेश शर्मा	46,600-1,51,100 (वेतन स्तर - 7)
7	मूल्यांकन एवं निगरानी सहायक	श्री तम्मा अजय कुमार	35,400-1,12,400 (वेतन स्तर - 6)
8	तकनीकी सहायक	श्रीमति नताशा एस. वशिष्ठ	29,200-92,300 (वेतन स्तर - 5)
9	स्टाफ कार चालक	श्री हरी सिंह भण्डारी	29,200-92,300 (वेतन स्तर - 5)
10	अवर श्रेणी लिपिक	श्री ठाकुर दास	21,700-69,100 (वेतन स्तर - 3)
11	मल्टी टास्क स्टाफ	श्री प्रमोद कुमार झा	21,700-69,100 (वेतन स्तर - 3)
12	मल्टी टास्क स्टाफ	श्री गोपाल स्वामी	19,900-63,200 (वेतन स्तर - 2)

निम्नलिखित पदों पर अधिकारी बाहरी स्रोत के आधार पर कार्यरत हैं :-

क्र. सं.	पद का नाम	कर्मियों के संख्या
1	मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी	एक
2	वैज्ञानिक अधिकारी	एक
3	अपर श्रेणी लिपिक	एक
4	सूचना प्रौद्योगिकी सहायक	एक
5	निजी सचिव	एक
6	मल्टी टास्क स्टाफ	एक

2.1 अधिशासी निकाय

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-ए के तहत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, सदस्य जिनकी संख्या दस से अधिक नहीं होगी एवं एक सदस्य सचिव, जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-बी के अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्यों की समयावधि [सदस्य सचिव के अलावा] तीन साल से अधिक नहीं होगी, जैसा कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधान के अनुसार धारा 38-ए के तहत, मई, 2017 में 9वीं बार प्राधिकरण का पुनर्गठन तीन साल की अवधि के लिए राजपत्र अधिसूचना सं. 1492 दिनांक 24 मई, 2017 के द्वारा किया गया था। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिशासी निकाय में बारह सदस्य शामिल हैं, जिसमें माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, इसके पदेन अध्यक्ष हैं :-

1. मंत्री
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
अध्यक्ष (पदेन)
2. सचिव
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
सदस्य (पदेन)
3. वन महानिदेशक और विशेष सचिव
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
सदस्य (पदेन)
4. अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)
एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
सदस्य (पदेन)
5. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
सदस्य (पदेन)
6. निदेशक
भारतीय वन्यजीव संस्थान
देहरादून, उत्तराखण्ड
सदस्य (पदेन)
7. निदेशक
भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली
उत्तर प्रदेश
सदस्य (पदेन)

8.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्ल्ड वाईड फंड फॉर नेचर इण्डिया, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री अभिलाष खंडेकर वरिष्ठ पत्राकार, 1/8 आईएनएस बिडिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
10.	श्री सी. एस. यल्लाकी, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा मकान नं. 1604, ई व एफ ब्लॉक, रामाकृष्णा नगर, मैसूर, कर्नाटक	सदस्य
11.	श्री भारत पाठक, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा प्लॉट नं. 64, नियर स्मोल शोपिंग सेंटर गोंधीनगर, गुजरात	सदस्य
12.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली	सदस्य सचिव

सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 31वीं, 32वीं, 33वीं और 34वीं बैठक क्रमशः 26 जून 2018, 19 नवम्बर 2018, 12 फरवरी 2019 और 8 मार्च 2019 को आयोजित की गयी थी।

2.2 प्रशासनिक समिति

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के एक उप-समूह, नामतः प्रशासनिक समिति का माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार और अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी के साथ, आदेश संख्या 7 4/2017-के.वि.प्रा./1190/2017 दिनांक 30.06.2017 को, प्रशासनिक और बजटीय मुद्दों से निपटने के लिए समान शर्तों के साथ निम्न रचनानुसार पुनर्गठन किया गया:

1.	वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष (पदेन)
2.	अपर वन महानिदेशक (वन्य जीव) और निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
3.	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)

- | | | |
|----|--|--------------|
| 4. | संयुक्त सचिव (प्रशासन)
(प्रभारी, सामान्य प्रशासन)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य (पदेन) |
| 5. | सदस्य सचिव,
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण | सदस्य सचिव |

प्रशासनिक समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार होंगे :-

- (क) प्राधिकरण में नये पदों के सृजन तथा मौजूदा पदों के उन्नयन से संबंधित प्रस्तावों की जाँच व अनुमोदित करना।
- (ख) ग्रुप ए पदों को परामर्शी और संविदा आधार पर नियुक्ति करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करना।
- (ग) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वार्षिक बजट को मंजूरी देना।
- (घ) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा उल्लेखित अन्य मामलों का निष्पादन करना।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की प्रशासनिक समिति की बैठक श्री सिद्धाता दास, वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में 18 मई 2018 को इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली में हुई, जिसमें विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और अंतिम रूप दिया गया।

2.3 तकनीकी समिति

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति का पुनर्गठन निम्न संरचना एवं संदर्भ की शर्तों के साथ माननीय मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन से दिनांक 30.06.2017 के आदेश संख्या 7-4/2017-के.चि.प्रा. /1191/2017 के अंतर्गत तकनीकी मामलों में परामर्श हेतु किया गया था :-

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)
और निदेशक, वन्य जीव संरक्षण,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. | अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य (पदेन) |

3.	निदेशक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली, उत्तर प्रदेश	सदस्य (पदेन)
4.	निदेशक भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य (पदेन)
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इण्डिया, नई दिल्ली भुवनेश्वर, ओडिशा	सदस्य
6.	श्री सी. एस. यल्लाकी, सेवानिवृत्त, भा.व.से. मकान नं. 1604, ई व एफ ब्लॉक रामाकृष्णा नगर, मैसूर कर्नाटक - 570023	सदस्य
7.	श्री भारत पाठक, सेवानिवृत्त भा.व.से. प्लॉट नं. 64, नियर स्मॉल शोपिंग सेंटर गौधीनगर, गुजरात - 382007	सदस्य
8.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली	संयोजक

तकनीकी समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार होंगे:-

- (क) चिड़ियाघरों के वन्य प्राणियों के आवास, रख-रखाव एवं स्वास्थ्य देखरेख के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने के सम्बंध में सिफारिशें करना ।
- (ख) चिड़ियाघरों को मान्यता देने या मान्यता ना देने के लिए अनुमोदन प्रदान करना तथा नये चिड़ियाघरों के सृजन के लिए प्राप्त आवेदनों के लिये सिफारिशें करना ।
- (ग) वन्य जीवों की विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए पहचान करना तथा इस संबंध में चिड़ियाघरों को उत्तरदायित्व सौंपना ।
- (घ) विदेशी चिड़ियाघरों के साथ वन्यजीवों का आदान-प्रदान, विदेशी चिड़ियाघरों से वन्यजीवों को उपहार स्वरूप प्राप्त करना और विदेशी चिड़ियाघरों वन्यजीवों का उपहार प्रदान करने के संबंध में सिफारिशें करना ।
- (ङ) भारतीय चिड़ियाघरों के बीच समन्वित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वन्य जीवों के विनियम प्रस्तावों को अनुमोदित करना ।

- (च) चिड़ियाघरों में संरक्षित वन्य प्राणियों के प्रदर्शन के संबंध में प्राथमिकताएं, संकल्पना की पहचान करना तथा मास्टर प्लान को अनुमोदित करना।
- (छ) चिड़ियाघरों के प्रबंधन के विभिन्न पक्षों पर भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला एवं बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना।
- (ज) प्राधिकरण द्वारा अनुदान निधि प्रदान करने अथवा राशि देने हेतु चिड़ियाघरों से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं का अनुमोदन करना।
- (झ) चिड़ियाघरों को उनके समुचित प्रबंधन एवं वैज्ञानिक दिशा में विकास हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- (ञ) विभिन्न चिड़ियाघरों एवं अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन और
- (ट) कोई अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा सौंपा गया हो।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति की बैठकें 28 सितम्बर 2019 (86 वीं बैठक), 1 फरवरी 2019 (87 वीं बैठक), 12 फरवरी 2019 (88 वीं बैठक) और 7 मार्च 2019 (89 वीं बैठक) चिड़ियाघरों में सुधार संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण और अन्य नीति स्तर के मुद्दों के प्रस्ताव के अलावा मास्टर प्लान के प्रस्तावों का अनुमोदन हेतु आयोजित की गई थी।

2.4 चिड़ियाघरों की संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में चिड़ियाघरों की संकल्पना हेतु विशेषज्ञ समूह का पुनर्गठन माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के अनुसार कार्यालय आदेश फाइल संख्या 7-5/2016-के.चि.प्रा.(ए.के.)/2464/2016, दिनांक 26.08.2016 द्वारा निम्नलिखित संरचना और विचारणीय विषयों के साथ किया गया था:-

1. श्री पी. आर. सिन्हा, सदस्य
भूतपूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एवं
राष्ट्र प्रतिनिधि, प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ, भारत,
सी-4/25, सफदरजंग विकास क्षेत्र, नई दिल्ली - 110 016
2. श्री बी. एस. बोनाल, सदस्य
भूतपूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एवं
भूतपूर्व सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण,
सी-1/43, बापा नगर,
नई दिल्ली - 110 003

- | | | |
|----|---|--------|
| 3. | प्रमुख, परिदृश्य वास्तुकला विभाग,
योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
ब्लाक-4, इंद्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली - 110002 | सदस्य |
| 4. | प्रतिनिधि नगर विनिर्माण इकाई, सी.सी.यू.
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कमरा नं. 728, 7 वां तल, पं. दीनदयाल अन्वयोदय भवन
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 | सदस्य |
| 5. | डॉ. ब्रिज किशोर गुप्ता (अनुबंधित),
चिड़ियाघर जैव वैज्ञानिक एवं,
मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण,
सी-280, बीटा-1, ग्रेटर नोएडा - 201310
उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 6. | डॉ. देवेन्दर कुमार (अनुबंधित),
चिड़ियाघर जैव वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक अधिकारी,
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण,
बी-83, द्वितीय तल, देना बैंक भवन,
मयूर पब्लिक स्कूल के निकट, मंगलम,
आई. पी. एक्सटेंशन, पूर्वी दिल्ली - 110092 | सदस्य |
| 7. | श्री हिमंशु मल्होत्रा
वन्यजीव फिल्म निर्माता / पर्यावरणविद् एवं
सदस्य, चिड़ियाघर सलाहकार बोर्ड,
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली,
सी - 50, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली - 110024 | सदस्य |
| 8. | सदस्य सचिव
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
नई दिल्ली | संयोजक |

उक्त विशेषज्ञ समूह के विचारणीय विषय निम्नलिखित है:-

- विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा प्रस्तुत मास्टर (ले- ऑउट) प्लान एवं मास्टर प्लान की जांच करना, सुधार हेतु सुझाव देना, परिवर्तन करना और (तकनीकी समिति को) सिफारिश करना।

2. विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित वन्य जीवों के बाड़ों के डिजाइन की जांच करना, सुधार हेतु सुझाव देना/ परिवर्तन करना और अनुमोदित/अस्वीकृत करना।
3. विभिन्न चिड़ियाघरों के लिए वन्य प्राणियों के बाड़ों के डिजाइन के लिए मानक एवं मानदंडों संबंधी सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में चिड़ियाघर डिजाइन के विशेषज्ञ समूह की बैठक भारतीय चिड़ियाघरों में निर्माणाधीन लुप्तप्राय प्रजातियों के बाड़ों के डिजाइन को अनुमोदन देने तथा चिड़ियाघरों के मास्टर (ले-आउट) प्लान तथा मास्टर प्लान के अनुमादेन की अनुशंसा करने हेतु 14 जून 2018 (78 वीं बैठक), 29 अगस्त 2018 (79 वीं बैठक), 26 दिसम्बर 2018 (80 वीं बैठक), 29 जनवरी 2019 (81 वीं बैठक), 11 फरवरी 2019 (82 वीं बैठक) और 6 मार्च 2019 (83 वीं बैठक) आयोजित की गई थी।

3.0 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सचिवालय में नियुक्तियाँ

डॉ. डी. एन. सिंह, सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिनांक 03.12.2018 (पूर्वाहन) को समय पूर्व प्रत्यावर्तन होने के कारण डॉ. अनूप कुमार नायक, अतिरिक्त महानिदेशक (प्रोजेक्ट टाईगर) तथा सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दिनांक 03.12.2018 (अपराहन) से सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

4.0 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य

4.1 चिड़ियाघरों का तकनीकी मूल्यांकन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 37 चिड़ियाघरों का मूल्यांकन किया इनमें से 1, 2, 8 और 23 चिड़ियाघर क्रमशः बड़े, मध्यम, छोटे और लघु श्रेणी के थे, जिनमें 3 बचाव केंद्र सम्मिलित थे। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मूल्यांकित किए गए विभिन्न श्रेणियों के चिड़ियाघरों की सूची निम्नलिखित है:-

बड़े श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1.	बिहार	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना	डॉ. डी. एन. सिंह	5/6-04-2018

मध्यम श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1.	झारखण्ड	भगवान बिरसा मुण्डा जैविक उद्यान, राँची	डॉ. डी. एन. सिंह	15/16-09-2018

2.	महाराष्ट्र	राजीव गांधी प्राणी उद्यान और वन्यजीव अनुसंधान केंद्र, पुणे	डॉ. ब्रिज किशोर गुप्ता	19-05-2018
----	------------	--	------------------------	------------

छोटे श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1.	मध्य प्रदेश	गांधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर	डॉ. ब्रिज किशोर गुप्ता	09-07-2018
2.		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल	डॉ. डी. एन. सिंह	5/6-10-2018
3.	महाराष्ट्र	निसारगाकवी बहिनावाई वॉधरी प्राणी संग्राहलय, चिंचवाड, पुणे	डॉ. देवेन्दर कुमार	17-09-2018
4.	राजस्थान	गांधिया जैविक उद्यान, जोधपुर	डॉ. डी. एन. सिंह	13/14-09-2018
5.	तमिलनाडु	चेन्नई स्नेक उद्यान, चेन्नई	डॉ. ब्रिज किशोर गुप्ता	07-08-2018
6.		कुरुम्बपट्टी प्राणी उद्यान, सालेम	डॉ. ब्रिज किशोर गुप्ता	4/5-08-2018
7.		अमृधी चिड़ियाघर, वेल्लोर	डॉ. ब्रिज किशोर गुप्ता	06-08-2018
8.	उत्तराखण्ड	पंडित गोविन्द बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल	डॉ. देवेन्दर कुमार	15-09-2019

लघु श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1	दिल्ली	ए.न. झा हिरण उद्यान, हौजखास	डॉ. देवेन्दर कुमार	21-07-2018
2	हरियाणा	लघु चिड़ियाघर, पीपली	डॉ. देवेन्दर कुमार	07-07-2018
3	हिमाचल प्रदेश	रिवलसर लघु चिड़ियाघर, मण्डी	डॉ. देवेन्दर कुमार	08-07-2018
4		फिर्जेटरी, सराहन	डॉ. देवेन्दर कुमार	10-07-2018
5	कर्नाटक	इन्दिरा प्रियदर्शिनी किरु मरुगालय, अनागोडु	डॉ. ब्रिज किशोर गुप्ता	18-07-2018
6		हिरण उद्यान, एन. एम. डी.	डॉ. ब्रिज किशोर गुप्ता	18-07-2018

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
		सी. लि., डोनीमलाई, बेल्लारी		
7	केरल	लॉईन सफारी, नैय्यर बॉध	डॉ. ब्रिज किशोर गुप्ता	17-07-2018
8		रनके उद्यान, मलमपुज्जा	डॉ. ब्रिज किशोर गुप्ता	16-07-2018
9	महाराष्ट्र	शाहजी छत्रपति चिड़ियाघर, कोल्हापुर	डॉ. देवेन्दर कुमार	27-09-2018
10	मेघालय	लेडी हादरी उद्यान-कम- लघु चिड़ियाघर, शिलोंग	डॉ. डी. एन. सिंह	08-09-2018
11	ओडिशा	हिरण उद्यान, कटक	श्री तम्मा अजय कुमार	22-07-2018
12		कपिलाश चिड़ियाघर, ढेंकनाल, ओडिशा	श्री तम्मा अजय कुमार	23-07-2018
13		घड़ियाल अनुसंधान तथा संरक्षण केंद्र (जीआरएसीयू), टीकरपाढा	श्री तम्मा अजय कुमार	24-07-2018
14		हरीशंकर हिरण उद्यान, जिला बलांगिर	श्री तम्मा अजय कुमार	24-07-2018
15		हिरण उद्यान, पापडहाण्डी	श्री तम्मा अजय कुमार	24-07-2018
16	तमिलनाडु	हिरण उद्यान, उदगमंदलम	डॉ. ब्रिज किशोर गुप्ता	02-08-2018
17	तेलंगना	किन्नरासानी हिरण उद्यान, पलोनचा, तेलंगना	श्री तम्मा अजय कुमार	15-09-2018
18		करीमनगर हिरण उद्यान, एल.एम.डी. करीमनगर	श्री तम्मा अजय कुमार	16-09-2018
19		पिल्लामरी लघु चिड़ियाघर तथा हिरण उद्यान, महबूबनगर	श्री तम्मा अजय कुमार	17-09-2018
20	उत्तर प्रदेश	वन प्राणी उद्यान, आई.वी. आर. आई., इज्जतनगर, बरेली	डॉ. देवेन्दर कुमार	16-09-2018
21	पश्चिम बंगाल	सुरुलिया लघु चिड़ियाघर, पुरुलिया	डॉ. देवेन्दर कुमार	16-07-2018
22		बर्धमान प्राणी उद्यान, बर्धमान	डॉ. देवेन्दर कुमार	17-07-2018

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
23		अडिना हिरण उद्यान, मालदा	डॉ. देवेन्दर कुमार	18-07-2018

बचाव केंद्र

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1	असम	वन्यजीव पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र, गोलाघाट जिला	डॉ. डी. एन. सिंह	09-09-2018
2	हिमाचल प्रदेश	बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र, टूटिकाण्डी, शिमला	डॉ. देवेन्दर कुमार	11-07-2018
3	महाराष्ट्र	मणिकदोह तेंदुआ बचाव केन्द्र, तहसील जुनार, जिला पुणे	डॉ. डी. एन. सिंह	19.05.2018

4.2 2018-19 के दौरान मान्यता प्रदत्त चिड़ियाघर

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 2018-19 के दौरान 36 चिड़ियाघरों की मान्यता को नीचे दिये गए ब्यौरों के अनुसार नवीनीकरण की मंजूरी दी। इनमें क्रमशः 1 बड़े श्रेणी के चिड़ियाघर, 2 मध्यम श्रेणी के चिड़ियाघर, 8 छोटे श्रेणी के चिड़ियाघर, 22 लघु श्रेणी के चिड़ियाघर और 3 बचाव केंद्र हैं। 31.03.2019 तक देश में कुल 142 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर हैं।

बड़े श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	वैध मान्यता की तिथि
1	बिहार	संजय गाँधी जैविक उद्यान	पटना	27-09-2021

मध्यम श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	वैध मान्यता की तिथि
1	झारखण्ड	भगवान बिरसा जैविक उद्यान	रांची	27-09-2020
2	महाराष्ट्र	राजीव गाँधी प्राणी उद्यान तथा वन्यजीव अनुसंधान केंद्र	पुणे	27-09-2019

छोटे श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	वैध मान्यता की तिथि
1	मध्य प्रदेश	गॉंधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर	27-09-2019
2		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	भोपाल	27-09-2019
3	महाराष्ट्र	निसारगकावी बहिनबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय	चिंचवाड़, पुणे	27-09-2019
4	राजस्थान	माचिया जैविक उद्यान	जोधपुर	27-09-2019
5	तमिलनाडु	चेन्नई स्नेक पार्क	चेन्नई	27-09-2019
6		कुरुम्बपट्टी प्राणी उद्यान	सालेम	27-09-2019
7		अमृधी चिड़ियाघर	वेल्लोर	27-09-2019
8	उत्तराखण्ड	पंडित गोविन्द बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान	नैनीताल	27-09-2020

लघु श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	वैध मान्यता की तिथि
1	दिल्ली	ए.न. झा हिरण उद्यान,	होजखास, दिल्ली	27-09-2019
2	हरियाणा	लघु चिड़ियाघर	पिपली	27-09-2020
3	हिमांचल प्रदेश	फिजेंटरी, सराहन	सराहन	27-09-2019
4		रेवलसर लघु चिड़ियाघर	मण्डी	27-09-2020
5	कर्नाटक	इन्दिरा प्रियदर्शिनी किरू मरुगालय	अनागोडु	27-09-2019
6		हिरण उद्यान, एन एम डी सी लि.	डोनीमलाई, बेल्लारी	27-09-2019
7	केरल	लॉईन सफारी, नेयार डैम	त्रिवेदंम	27-09-2019
8		सृप उद्यान	मलमपुज्जा	27-09-2019
9	महाराष्ट्र	शाहजी छत्रपति चिड़ियाघर	कोल्लापुर	27-09-2019
10	मेघालय	लेडी हादरी उद्यान-कम-लघु चिड़ियाघर	शिलोंग	08-09-2018

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	वैध मान्यता की तिथि
11	ओडिशा	घड़ियाल अनुसंधान तथा संरक्षण केंद्र (जीआरएसीयू)	टीकडपाढा	27-09-2019
12		हरीशंकर हिरण उद्यान	जिला बलांगीर	27-09-2019
13		हिरण उद्यान	पापडहाण्डी	27-09-2019
14		कपिलाश चिड़ियाघर	ढेंकनाल	27-09-2019
15	तमिलनाडु	कुरुम्मबत्ती प्राणी उद्यान	सालेम	27-09-2019
16	तेलंगना	किन्नरासानी हिरण उद्यान,	पलोनचा	27-09-2019
17		करीमनगर हिरण उद्यान, एल.एम.डी.	करीमनगर	27-09-2019
18		पिल्लामरी लघु चिड़ियाघर तथा हिरण उद्यान	महबूबनगर	27-09-2019
19	उत्तर प्रदेश	वन प्राणी उद्यान, आई.वी. आर. आई.	इज्जतनगर, बरेली	27-09-2020
20	पश्चिम बंगाल	अडिना हिरण उद्यान	मालदा	27-09-2019
21		सुरुलिया लघु चिड़ियाघर	पुरुलिया	27-09-2019
22		बृद्धमान प्राणी उद्यान,	बृद्धवान	27-09-2020

बचाव केंद्र

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	वैध मान्यता की तिथि
1	असम	वन्यजीव पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र	गोलाघाट जिला	27-09-2019
2	हिमाचल प्रदेश	बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र	टूटिकाण्डी, शिमला	27-09-2020
3	महाराष्ट्र	मणिकदोह तेंदुआ बचाव केन्द्र	तहसील जुनार, जिला पुणे	27.09.2019

4.3 नए चिड़ियाघरों की स्थापना

1. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सिद्धांतिक रूप से कुछ शर्तों के साथ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38H (1A) के तहत खोडम्बा रिजर्व फॉरेस्ट, मांडवी, गुजरात में तेंदुआ पार्क के साथ व बचाव केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। उनमें से एक यह है कि तेंदुआ पार्क और बचाव केंद्र के संचालक को मास्टर (लेआउट) योजना को तकनीकी विवरण और मास्टर प्लान के साथ केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए। चूंकि बचाव केंद्र स्वयं पोषित होना चाहिए, इसलिए गुजरात सरकार तेंदुआ सफारी बना सकती है।
2. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सिद्धांतिक रूप से कुछ शर्तों के साथ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38H (1A) के तहत वाघई, साउथ डिवीजन, अहवा, गुजरात में बिछड़ा हुआ मांसाहारियों जो कि मानव - तेंदुआ के संघर्ष के कारण जंगल में वापस पुनर्वासित नहीं किया जा सकता के लिए आवास के रूप में तेंदुआ पार्क व बचाव केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी। उनमें से एक यह है कि तेंदुआ पार्क और बचाव केंद्र के संचालक को मास्टर (लेआउट) योजना को तकनीकी विवरण और मास्टर प्लान के साथ केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए। चूंकि बचाव केंद्र स्वयं पोषित होना चाहिए, इसलिए गुजरात सरकार तेंदुआ सफारी बना सकती है।
3. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने केरल के कोट्टूर में हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र के प्रस्ताव की सिफारिश की है, परन्तु चिड़ियाघर संचालक को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों और वन संरक्षण अनुभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश का पालन करना चाहिए क्योंकि प्रस्तावित स्थल आरक्षित वन में स्थित है।
4. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जामनगर, गुजरात में ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम की स्थापना को मंजूरी दी, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अनुपालन के अधीन है:
 - क. चिड़ियाघर मिश्रित शाकाहारी प्रजातियों को उनके आवास में प्रदर्शित करेगा।
 - ख. पक्षियों की प्रजातियां जो चिड़ियाघर के नजदीकी क्षेत्र में सामान्य रूप से पाई जाती हैं, उन्हें वन्य जीव संग्रह योजना का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
 - ग. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) एक बहुत ही दुर्लभ और लुप्तप्राय पक्षी है, वर्तमान में किसी भी चिड़ियाघरों में जीआईबी नहीं है, इस प्रकार प्रस्तावित वन्य जीव संग्रह योजना में इसे शामिल करने से टाला जाना चाहिए।
 - घ. चिड़ियाघर को विदेशी वन्य जीव प्रजातियों की संख्या कम करनी चाहिए।
5. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित वन्य जीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र, सांवले ब्लॉक, टेला रेंज, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो चिड़ियाघरों की संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह द्वारा लगाए गए शर्तों और अन्य सांविधिक मंजूरी के साथ है।
6. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित सोनागाडी रेंज, कालागढ़ डिवीजन के पखरु ब्लॉक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की स्थापना को मंजूरी दे दी, जो चिड़ियाघरों की संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह द्वारा लगाए गए शर्तों और अन्य सांविधिक मंजूरी के साथ है।

7. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने केवड़िया कॉलोनी, नर्मदा जिला, गुजरात में सरदार पटेल प्राणी उद्यान की स्थापना को मंजूरी दी, जो निम्न शर्तों के अधीन है:

- i. प्रस्तावित की जाने वाली विदेशी वन्य जीव प्रजातियां, वन्य जीव संग्रह योजना के संग्रह का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- ii. चरण - 1 में प्रस्तावित निम्नलिखित प्रजातियों को उनकी उपलब्धता और वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण बाहर रखा जाना चाहिये।

- क. जलहस्ती
- ख. मीरकट
- ग. इम्पाला
- घ. लालकंगारू
- ड. वललाबी
- च. केस्सोवेरी
- छ. रहिया
- ज. स्पाइडर मंकी
- झ. कपूचिन मंकी
- ञ. माऊस डीयर
- ट. विशालकाय गिलहरी

तदनुसार वन्य जीव योजना में संशोधन किया जाना चाहिए:

बाद की अवस्था में प्रदर्शित की जाने वाली अन्य प्रजातियों में, निम्नलिखित प्रजातियों को उनकी उपलब्धता और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण, पशु संग्रह योजना से हटा दिया जाना चाहिए:

- क. एक सींग वाला गैंडा
- ख. स्लो लोरिस
- ग. स्लेन्डर लोरिस
- घ. हिमालयन ब्राउन भालू
- ड. नीलगिरि लंगूर
- च. शेर-पूछ वाला मकाक
- छ. जंगली बिल्ली
- ज. हलोवक गिबबन

विभिन्न महाद्वीपों के जानवरों को प्रदर्शित करने का प्रस्तावित विषय संभव नहीं है क्योंकि चिड़ियाघर संचालक द्वारा प्रस्तावित प्रजातियां उपलब्ध नहीं हो सकती हैं और उनके आवास प्रबंधन में परेशानी होगी। अतः एक विदेशी आवास खंड जहां सभी विदेशी प्रजातियां रखे जाएं और एक अन्य आवास खंड भारतीय प्रजाति के लिए होना चाहिए।

- क. चिड़ियाघर को उच्च तनाव बिजली लाइन के नीचे किसी भी जानवर के आवास से बचना चाहिए। उच्च तनाव बिजली के तारों को पुनरीक्षित या विद्युत रोधित होना चाहिए। इन्सुलेशन के बाद भी, भविष्य में उस क्षेत्र का चिड़ियाघर के किसी भी गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- ख. लेआउट योजना में एक विस्तृत जल निकासी योजना होनी चाहिए जो जल निकासी सुविधा को दर्शाती है।
- ग. लेआउट योजना में पानी की आपूर्ति की सुविधा होनी चाहिए।
- घ. एक अलग सर्विस रोड को लेआउट प्लान पर डिज़ाइन और चिह्नित किया जाना है।

- ड. लेआउट योजना में आस-पास के क्षेत्र का विवरण दिखाना चाहिए।
- च. लेआउट योजना में घड़ियाल और मगर के बाड़ों के बीच स्पष्ट विभाजन को दिखाया जाना चाहिए
- छ. घड़ियाल, मगर, एवियरी और अन्य पानी से प्यार करने वाले जानवरों के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के पुनर्वर्धन के लिए उचित प्रावधान किया जाना चाहिए और विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ज. प्रस्तावित क्षेत्र की उत्तर पश्चिम सीमा पर उच्च तनाव रेखा को प्रस्तावित चिड़ियाघर क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- झ. प्रत्येक वन्य जीव प्रदर्शनी में देखने वाले क्षेत्र को वन्य जीव प्रदर्शनी के कुल क्षेत्र के 30 %तक सीमित किया जाना चाहिए।
- ञ. चिड़ियाघर संचालक को प्रस्तावित साइट के वन क्षेत्र में आने के संदर्भ में वन और संरक्षण (अधिनियम) अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के वन संरक्षण अनुभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
- ट. चिड़ियाघर संचालक को किसी भी चिड़ियाघर से संबंधित निर्माण गतिविधियों को शुरू नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रस्तावित चिड़ियाघर परिसर से गुजरने वाली उच्च तनाव बिजली के तारों को पुनरीक्षित या विद्धुत रोधित नहीं किया जाता है।
8. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने लैसडाउन वन प्रभाग, कोटद्वार, पौड़ी, गढ़वाल जिला, उत्तराखंड में कान्वासराम बचाव और पुनर्वास केंद्र की प्रस्तावित स्थापना की डीपीआर को निम्नलिखित टिप्पणियों के अनुपालन के साथ मंजूरी दी:
- क. बचाव और पुनर्वास केंद्र संचालक को वन संरक्षण अनुभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा क्योंकि प्रस्तावित जगह आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
- ख. बंदरों के लिए प्रस्तावित आवास सुविधा को भालू के बाड़े के ऊपर और सरीसृप के लिए प्रस्तावित सुविधा के पास स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- ग. बंदरों के बाड़े के क्षेत्र को 500 m² से 2000 m² तक बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि अलग-अलग जगहों से जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बंदर, जो विभिन्न स्थानों से मानव-जानवरों के संघर्ष और बचाये गए हो, को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है।
- घ. बचाव केंद्र की परिधि, बचाव और पुनर्वास केंद्र के प्रस्तावित स्थल में जानवरों को आने से रोकने के लिए उचित आकार और ऊँचाई की सुरक्षा बाड़ होनी चाहिए, जिसमें जानवरों को दफनाने से रोकना भी शामिल है।
- ड. प्रस्तावित सुविधा को प्रकृति में बंद रखा जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में इसे सार्वजनिक रूप से नहीं खोला जाएगा।

4.4 कारण बताओ नोटिस जारी चिड़ियाघरों की सूची

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दोहराए गए निर्देशों के बावजूद ऐसे चिड़ियाघर, जो चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के तहत निर्धारित मानक और मानदंडों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं उन चिड़ियाघरों को उनके कार्यों में सुधार लाने के लिए समयबद्ध प्रतिबद्धता देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि अन्यथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघर में रखे कैप्टिव जानवरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनकी मान्यता को रद्द/ निलंबित करने के लिए मजबूर हो जाएगा। निम्नलिखित 22 चिड़ियाघर के प्रचालकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	कारण बताओ नोटिस की तिथि
1	अराम	वन्यजीव पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र, गोलाघाट जिला	बचाव केंद्र	28-09-2018
2	दिल्ली	ए.न. झा हिरण उद्यान, होजखास	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
3	कर्नाटक	इन्दिरा प्रियदर्शिनी किरु मरुगालय, अनागोडु	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
4		हिरण उद्यान, एन. एम. डी. सी लि., डोनीमलाई, बेल्लारी	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
5	केरल	लॉईन सफारी, नैथ्यर डैम, त्रिवेदम	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
6		सरीसृप उद्यान, मलमपुज्जा	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
7	महाराष्ट्र	राजीव गाँधी प्राणी उद्यान तथा वन्यजीव अनुसंधान केंद्र, पुणे	मध्यम चिड़ियाघर	28-09-2018
8		माणिकदोह तेंदुआ बचाव केंद्र, तहसील जुनार	बचाव केंद्र	28-09-2018
9	मेघालय	लेडी हादरी उद्यान-कम-लघु चिड़ियाघर, शिलोंग	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
10	ओडिशा	हिरण उद्यान, कटक नगर निगम, कटक	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
11		घड़ियाल अनुसंधान तथा संरक्षण केंद्र (जीआरएसीयू), टीकरपाढा	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
12		हरीशंकर हिरण उद्यान, जिला बलांगिर	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
13		हिरण उद्यान, पापडहाण्डी	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
14		कपिलाश चिड़ियाघर, धेनकनाल	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
15		राजस्थान	मचिया जैविक उद्यान, जोधपुर	छोटा चिड़ियाघर
16	तमिलनाडु	चेन्नई सरीसृप उद्यान, चेन्नई	छोटा चिड़ियाघर	28-09-2018
17		अमृधी चिड़ियाघर, वेल्लोर	छोटा चिड़ियाघर	28-09-2018
18	तेलंगना	किन्नरासानी हिरण उद्यान, पलोनचा	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
19		करीमनगर हिरण उद्यान,	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	कारण बताओ नोटिस की तिथि
		एल.एम.डी., करीमनगर		
20		पिल्लामरी लघु चिड़ियाघर तथा हिरण उद्यान, महबूबनगर	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018

4.5 मान्यता निरस्त चिड़ियाघर

ऐसे चिड़ियाघर जो केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बार बार दिशा निर्देशों के बावजूद, चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के मानकों और मापदण्डों के अनुसार प्रचालन नहीं कर रहे थे या बिना मान्यता के चल रहे थे, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उनमें रखे जानवरों के हित को ध्यान में रखते हुए, उन चिड़ियाघरों की मान्यता निरस्त कर दी है। ऐसे 2 चिड़ियाघरों की सूची, जिनकी मान्यता केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने रद्द की है, निम्नलिखित है-

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	निरस्तता की तिथि
1	तमिलनाडु	हिरण उद्यान, उदगमंडलम्	लघु चिड़ियाघर	28-09-2018
2		शिवांगगार्ड गार्डन चिड़ियाघर, थंजावुर		28-09-2018

4.6 31 मार्च, 2019 तक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची

भारत में चिड़ियाघरों को संचालन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 एच(1) के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मान्यता की आवश्यकता होती है। देश में कोई भी चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की पूर्व अनुमति एवं मान्यता के बिना स्थापित एवं संचालित नहीं किया जा सकता है।

देश में चिड़ियाघरों के वैज्ञानिक प्रबंधन और संचालन के लिए एवं भौतिक और मानव बुनियादी ढांचे को नियमित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के तहत मानक और मानदंड निर्धारित किए हैं। तदनुसार, भारत में चिड़ियाघरों को चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के अधीन उपलब्ध मापदंडों के अनुसार बड़े, मध्यम, छोटे एवं लघु श्रेणी चिड़ियाघरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चिड़ियाघर का वर्गीकरण चिड़ियाघरों के प्रबंधन और जानवरों के आवास, रहन-सहन, पशु-चिकित्सा देखरेख आदि को ध्यान में रखकर मानकों एवं मानदंडों को लागू करने के उद्देश्य से किया गया है। चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 9 के मापदंडों के अनुसार (चिड़ियाघर का क्षेत्रफल, आगंतुकों की संख्या, वन्य प्राणियों एवं प्रजातियों की संख्या, विलुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या) चिड़ियाघरों का वर्गीकरण किया गया है। चिड़ियाघर को उल्लेखित श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने के लिए उपरोक्त मानदंडों में से कम से कम चार मानदंडों (जिसमें कुल प्रजातियों की संख्या, कुल विलुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या तथा कुल वन्य प्राणियों की संख्या जिसमें विलुप्तप्राय प्राणियों की संख्या शामिल हो) को पूरा करना चाहिए।

देश में 31.03.2019 तक वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 एच (1) के तहत 142 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर हैं। जिसमें 17 बड़े चिड़ियाघर, 23 मध्यम चिड़ियाघर, 33 छोटे चिड़ियाघर एवं 55 लघु चिड़ियाघर, जिसमें 14 बचाव केंद्र भी शामिल हैं।

देश में 142 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची उनके वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित है :

श्रेणी	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान
बड़े चिड़ियाघर	आंध्र प्रदेश	इन्दिरा गांधी प्राणी उद्यान	विसाखापट्टनम
		श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान	तिरुपति
	असम	असम राज्य चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान	गुवाहाटी
	बिहार	संजय गांधी जैविक उद्यान	पटना
	दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	नई दिल्ली
	गुजरात	कमला नेहरू प्राणी उद्यान	अहमदाबाद
		सक्करबाग चिड़ियाघर	जूनागढ़
		बत्रेरघट्टा जैविक उद्यान	बेगलुरु
	कर्नाटक	डा. के. शिवरामा करन्थ पिलिकुला जैविक उद्यान	मेगलुरु
		श्री चमाराजेन्द्रा प्राणी उद्यान	मैसुरु
	केरल	तिरुवनन्थपुरम चिड़ियाघर	तिरुवनन्थपुरम
	ओडिशा	नंदनकानन जैविक उद्यान	भुवनेश्वर
	पंजाब	महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान	छतबीर, मोहाली
	तमिलनाडु	अरीगनर अन्ना प्राणी उद्यान	वेंडलूर, चेन्नई
तेलंगाना	नेहरू प्राणी उद्यान	हैदराबाद	
उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणी उद्यान	कानपुर	
	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान	लखनऊ	
बड़ी श्रेणी के कुल चिड़ियाघर			17
मध्यम चिड़ियाघर	छत्तीसगढ़	कानन पडारी चिड़ियाघर	बिलासपुर
		मैत्रीबाग चिड़ियाघर	भिलाई
		नंदनवन जंगल सफारी (नया रायपुर)	नया रायपुर
	गुजरात	डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान	सूरत
		इन्द्रोड़ा प्रकृति उद्यान	गांधी नगर
		राजकोट नगरपालिका चिड़ियाघर	राजकोट
		सयाजी बाग चिड़ियाघर	वडोदरा
	झारखंड	भगवान बिरसा जैविक उद्यान	रांची
		जवाहर लाल नेहरू जैविक उद्यान	बोकारो
		टाटा स्टील प्राणी उद्यान	जमशेदपुर
	केरल	राज्य संग्रहालय एंव चिड़ियाघर	त्रिसुर

श्रेणी	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान
मध्यम चिड़ियाघर	मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	इंदौर
	महाराष्ट्र	राजीव गांधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव अनुसंधान केंद्र	पुणे
		वीरमाता जीजाबाई भोंसले उद्यान एवं चिड़ियाघर	मुंबई
	मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान	इरोइसेम्बा
	नागालैंड	नागालैंड प्राणी उद्यान	रंगापहाड़
	राजस्थान	नाहरगढ़ जैविक उद्यान	जयपुर
	तमिलनाडू	चिल्ड्रेन उद्यान	गिंडी/म्युन्डी, चेन्नई
		मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट/ सेटर फॉर हेरपेटोलोजी	मम्मालपुरम
	त्रिपुरा	सेपाहिजला प्राणी उद्यान	सेपाहिजला, अगरतला
	पश्चिम बंगाल	अलीपुर प्राणी उद्यान	कोलकाता
		जंगल महल प्राणी उद्यान	झारग्राम
पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान		दार्जिलिंग	
मध्यम श्रेणी के कुल चिड़ियाघर			23
छोटे चिड़ियाघर	अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	जैविक उद्यान, चिड़ियाटापू	पोर्ट ब्लेयर
	अरुणाचल प्रदेश	जैविक उद्यान, इटानगर	इटानगर
	गोवा	बोंडला चिड़ियाघर	उसगाँव
	हरियाणा	रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक
	हिमाचल प्रदेश	धौलाधार प्रकृति उद्यान	गोपालपुर
		हिमालयन प्रकृति उद्यान	कुफ़री
	कर्नाटक	अटल बिहारी वाजपेयी प्राणी उद्यान	बेल्लारी
		चिल्ड्रेन पार्क एवं बिकादाकाती चिड़ियाघर (गडग चिड़ियाघर)	गडग
		बाघ एवं शेर सफारी	शिमोगा
	केरल	परासिनीकडावु सरीसृप उद्यान	कन्नूर
	मध्य प्रदेश	गांधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर		भोपाल	
	निसारगकवि बहिनभाई चौधरी प्राणी संग्रहालय	चिंचवाड, पुणे	

श्रेणी	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	
छोटे चिड़ियाघर	महाराष्ट्र	संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पार्क एवं चिड़ियाघर	बोरीवली	
	मेघालय	नेहरू उद्यान चिड़ियाघर, दानक्रे, तुरा	अखोगिनी, तुरा	
	मिज़ोरम	ऐजवाल चिड़ियाघर	ऐजवाल	
	ओडिशा		इन्दिरा गांधी उद्यान चिड़ियाघर	राउरकेला
			कपिलाश चिड़ियाघर	धेनकनाल
			वन्यजीव संरक्षण केंद्र	मोतिझरन, संबलपुर
	पंजाब		हिरण उद्यान, बीर मोती बाग	पटियाला
			लुधियाना चिड़ियाघर	लुधियाना
	राजस्थान		कोटा चिड़ियाघर	कोटा
			माचिया जैविक उद्यान	जोधपुर
			मरुधरा जैविक उद्यान	बौकानेर
			सज्जनगढ़ जैविक उद्यान	उदयपुर
	सिक्किम	हिमालयन प्राणी उद्यान	गंगटोक	
	तमिल नाडु		अमृधी चिड़ियाघर	वेल्लोर
			चेन्नई सरिसर्प पार्क ट्रस्ट	गिंडी/य्युन्डी, चेन्नई
			कुरुबापट्टी प्राणी उद्यान	सेलम
	तेलंगाना	ककटिया प्राणी उद्यान	वारंगल	
उत्तराखंड	पं. गोविंद वल्लभ उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान	नैनीताल		
पश्चिम बंगाल		बर्धमान प्राणी उद्यान	बर्धवान	
		मार्बल पैलेस चिड़ियाघर	कोलकाता	
छोटी श्रेणी के कुल चिड़ियाघर			33	
लघु चिड़ियाघर	आंध्र प्रदेश	हिरण उद्यान	चित्तूर (ईस्ट) डिविजन	
		हिरण उद्यान	कंडालेरू	
	अरुणाचल प्रदेश	मियाओ लघु चिड़ियाघर	मियाओ	
		लघु चिड़ियाघर	रोइंग	
	असम	बिजनी हिरण उद्यान	बोंगाईगांव	
	दादरा एंड नगर हवेली	शेर सफारी	वसोना	
	दिल्ली	ए.एन.झा. हिरण उद्यान	हौस खास, नई दिल्ली	
गुजरात	अंबाडी वन्यजीव व्याख्यान क्षेत्र (अंबाडी सफारी पार्क) धारी, जिला अमरेली	अमरेली		
	सुंदरवन प्रकृति डिस्कवरी सेंटर	जोधपुर टेकरा		

श्रेणी	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान
लघु चिड़ियाघर			(अहमदाबाद)
	हरियाणा	हिरण उद्यान	हिसार
		लघु चिड़ियाघर	भिवानी
		लघु चिड़ियाघर	पिपली
	हिमाचल प्रदेश	रेणुका लघु चिड़ियाघर	सिरगौर
		रिवालसर लघु चिड़ियाघर	मंडी
		सराहन फिजेंटरी	सरहान
	झारखंड	बिरसा मृग विहार	कल्माटी
	कर्नाटक	हिरण उद्यान, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड	डोनिमलाई
		इन्दिरा प्रियदर्शिनी संग्रहालय	देवानग्रेतालुक
		किट्टूर रानी चेत्रम्मा निसर्ग धामा लघु चिड़ियाघर	बेलगाँव
		लघु चिड़ियाघर ए एम गुडी बलवाना	चित्रदुर्गा
		लघु चिड़ियाघर	गंडेकट्टे, हसन
		लघु चिड़ियाघर चिल्ड्रेन उद्यान	गुलबर्गा
		नमदाचिलुमे हिरण उद्यान	टुमकुर
	केरल	क्वपरीकाड लघु चिड़ियाघर और बचाव केंद्र	इरनाकुलम
		लायन सफारी पार्क नैय्यर बाँध	तिरुवनथपुरम
		सरिसर्प पार्क	मलमपुज्जा
	मध्य प्रदेश	महाराजा मार्तण्ड सिंह जुदेव सफेद बाघ सफारी एवं चिड़ियाघर, मुकुंदपुर	सतना
	महाराष्ट्र	महाराजा शाहजी छत्रपती चिड़ियाघर	कोल्हापुर
	मेघालय	लेडी हैदरी पार्क एनिमल लैंड (मेघालय चिड़ियाघर)	शिलोंग
	मिज़ोरम	हिरण उद्यान	थेजावल
	ओडिशा	हिरण उद्यान, कट्टक नगर पालिका	कट्टक
		हिरण उद्यान, पापड़हांडी	नवरंगपुर
		घड़ियाल अनुसंधान एवं संरक्षण इकाई	टीकरपारा
		हरिशंकर हिरण उद्यान	बालंगिर
		कुकुनरिया हिरण उद्यान	नयागढ़
		तप्तापानी हिरण उद्यान	परलखेमुंडी
	पंजाब	हिरण उद्यान, बीर तालाब	भटिंडा
		हिरण उद्यान, नीलोन	लुधियाना

श्रेणी	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान
लघु चिड़ियाघर	तेलंगाना	हिरण उद्यान, जवाहर लोक ट्रिस्ट कॉम्प्लेक्स	शामिरपेट
		करीमनगर हिरण उद्यान	करीमनगर
		किन्नरासानी हिरण उद्यान	किन्नरासारी
		पिल्ललामारी हिरण उद्यान	पिल्ललामारी कॉम्प्लेक्स, महबूबनगर
	उत्तर प्रदेश	शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टिपल सफारी पार्क, इटावा	इटावा
		नवाबगंज हिरण उद्यान	उन्नाव
		सारनाथ हिरण उद्यान	वाराणसी
		वन प्राणी उद्यान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई)	इज्जतनगर, बरेली
	उत्तराखंड	विनोद वन लघु चिड़ियाघर, रामगढ़	गोरखपुर
		हिरण उद्यान नारायण तिवारी देवल	अल्मोडा
	पश्चिम बंगाल	मालसी हिरण उद्यान	देहारादून
		आडिना हिरण उद्यान	मालदा
		गर चुमुक (उलूघटा) हिरण उद्यान	हावड़ा
		उत्तरी बंगाल वन्यजीव उद्यान	जलपाईगुड़ी
रसिकबील लघु चिड़ियाघर		कूचबिहार	
सुंदरवन वन्यजीव उद्यान		जिला 24 परगना साउथ	
लघु चिड़ियाघर		सुरुलिया लघु चिड़ियाघर	पुरुलिया
लघु श्रेणी के कुल चिड़ियाघर			55
बचाव केंद्र	अरुणाचल प्रदेश	भालू पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र	पावके
	असम	वन्यजीव पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र	गोलाघाट
	हरियाणा	चौ. सुरेन्द्र सिंह हाथी बचाव केंद्र	बनसतूर
		गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र	पिंजौर
	हिमाचल प्रदेश	नेहरू फीजेटरी	मनाली
		बचाव एवं पुनर्वास गृह	टूटिकाण्डी
	कर्नाटक	पीपल फॉर एनिमल्स - बचाव केंद्र	बेंगलुरु
	महाराष्ट्र	आमटे एनिमल आर्क	गडचिरोली
		तेदुआ बचाव केंद्र	मानिकडोह
		पीपल फॉर एनिमल्स, आश्रय गृह	वर्धा

श्रेणी	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान
		बचाव केंद्र गोरवाड़ा	नागपुर
	उत्तर प्रदेश	आगरा भालू बचाव केंद्र	आगरा
	पश्चिम बंगाल	हरिनालाया इको पार्क (प्रकृति उद्यान, तराटोला मार्ग)	कोलकाता
		दक्षिण खैरबारी बचाव केंद्र	मदारीहाट
कुल बचाव केंद्र			14
कुल मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर			142

4.7 चिड़ियाघरों के जानवरों की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के आधार पर मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों का पुनः वर्गीकरण

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने चर्चा के बाद मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों द्वारा क्षेत्र के संबंध में, आगंतुकों की संख्या और चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 11 (1) के तहत चिड़ियाघरों के जानवरों की वार्षिक सूची 2016-17 के अर्न्तगत प्रस्तुत जानकारियों के आधार पर, चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 9 (1) चिड़ियाघरों के पुनः वर्गीकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के पुनः वर्गीकरण की सिफारिश की है:-

क्र. सं.	चिड़ियाघर का नाम	वर्तमान वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण
1	जवाहर लेक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, शाहमीरपेट, तेलंगना	छोटा श्रेणी चिड़ियाघर	लघु श्रेणी चिड़ियाघर
2	माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर, राजस्थान	छोटा श्रेणी चिड़ियाघर	मध्यम श्रेणी चिड़ियाघर
3	वन विहार राष्ट्रीय प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल, मध्य प्रदेश	मध्यम श्रेणी चिड़ियाघर	छोटा श्रेणी चिड़ियाघर

समिति ने सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से कहा है कि चिड़ियाघरों के संचालकों से चिड़ियाघर के पुनः वर्गीकरण के कारण चिड़ियाघर के संचालन के लिये निर्धारित मानक और मानदंडों के प्रभाव को सूचित करें, ताकि चिड़ियाघरों को इसके संचालन में पालन किया जा सके।

4.8 केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के बीच वन्य प्राणियों का विनिमय/ स्थानांतरण

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य विभिन्न प्रजाति के जंतुओं के कुल 58 विनिमय प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। प्राधिकरण ने भारतीय एवं विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य 3 विनिमय प्रस्तावों को भी अनुमोदित किये गए।

4.8.1 भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य कैप्टिव वन्य जीवों का विनिमय

भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य जंतुओं के 58 विनिमय प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा नीचे दिये गए ब्यौरे के अनुसार अनुमोदित किया गया है:-

क्र. सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर का नाम	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर का नाम		
1.	रसिकबील मिनी चिड़ियाघर, कूचबिहार, पश्चिम बंगाल	नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल्स उद्यान (बंगाल सफारी), सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल		
	तेदुआ	0:2:0	शून्य	शून्य
2.	माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर, राजस्थान	जयपुर चिड़ियाघर, जयपुर, राजस्थान		
	भारतीय गोजल	5:5:0	घोड़ियाल	1:1:0
			मगरमच्छ	1:1:0
3.	महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान, छतबीर, पंजाब	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट, गुजरात		
	हिमालयन काला भालू	0:1:0	एशियाई शेर	1:1:0
	जंगली बिल्ली	1:1:0	सफेद बाघ	0:1:0
	हमडर्यास बबून	1:1:0	जंगली बिल्ली	1:0:0
	रोज़ रिंग पैराकीट	3:3:0		
	अलेग्जेंड्रिन पैराकीट	2:2:0		
	पेंटेड सारस	5:5:0		
	कोम्ब बतख	2:2:0		
जेबरा फिच	5:5:0			
4.	नवाब वाजीद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर, उत्तर प्रदेश		
	सफेद मोर	0:1:0	शून्य	शून्य
5.	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट, गुजरात	श्री चमरजेंदरा प्राणी गार्डेन्स, मैसूरु, कर्नाटक		
	एशियाई शेर	0:1:0	चार सींग वाला मृग - चौसिंघ मृग	1:1:0
	सफेद बाघ	0:1:0	सफेद मोर	1:1:0
			रायल बंगाल टाईगर	1:0:0
			भारतीय ग्रे वुल्फ	1:1:0
6.	गाँधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	सेपाहिजला प्राणी उद्यान, सेपाहिजला, त्रिपुरा		
	बजरीगर	2:2:0	हिमालयन काला भालू	1:1:0
	कोकाटील	2:2:0		
	रोज़ रिंग पैराकीट	2:2:0		
	फिच	2:2:0		
	लव बर्ड	2:2:0		
7.	श्री चमाराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूर, कर्नाटक	नागालैंड प्राणी उद्यान, रंगापहार, नागालैंड		
	भारतीय ग्रे भेड़िया	1:1:0	हिमालयन काला भालू	0:2:0
8.	असम स्टेट चिड़ियाघर, गुवाहाटी, असम	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, रांची, झारखंड		
	काला तेदुआ	1:0:0	धारीदार लकड़बग्घा	1:1:0
	तेदुआ बिल्ली	2:1:0	शुतुरमुर्ग	1:1:0
9.	प्राणी उद्यान, थिरुवनंथपुरम, केरल	अरीगनर अन्ना प्राणी उद्यान, वंदलूर, चेन्नई, तमिलनाडु		
	रहिया (Rhea)	2:2:0	शुतुरमुर्ग	1:1:0
	होग हिरण	1:3:0	पेंटेड सारस	0:0:10
10.	साउथ खैरबारी लेपर्ड सफारी & बचाव केंद्र, मदरीहाट, पश्चिम बंगाल	नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल्स पार्क, सिलीगुरु, पश्चिम बंगाल		

क्र. सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर का नाम	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर का नाम
	तेदुआ 2:0:0	शून्य शून्य
11.	इन्दिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	पिलिकुला जैविक उद्यान, मंगलुरु, कर्नाटक
	जंगली कुत्ता 2:2:0	रॉयल बंगाल बाघ 2:0:0
	पेंटेड सारस 2:3:0	मुग्गर (Mugger) 1:0:0
	अलेग्जेंड्रिन पैराकीट 2:3:0	रेड जंगल फ्रॉल 0:4:0
12.	असम स्टेट चिड़ियाघर, गुवाहाटी, असम	पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
	स्लो लोरिस 1:0:0	लेडी अमहेस्ट 1:1:0
	- -	गोल्डेन फिजेट 1:1:0
	- -	सिल्वर फिजेट 1:1:0
13.	साउथ खैरबारी लेपर्ड सफारी & बचाव केंद्र, मदरीहाट, पश्चिम बंगाल	हिमालयन प्राणी उद्यान, बुलबुले, गंगटोक, सिक्किम
	तेदुआ 1:1:0	हिमालयन काला भालू 1:1:0
14.	नन्दनकानन जैविक उद्यान, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	नंदनवन चिड़ियाघर & जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
	दरियाई घोड़ा 1:1:0	- -
15.	बिरसा मृग विहार, कलामती, झारखंड	टाटा स्टील प्राणी उद्यान, जमशेदपुर, झारखंड
	सांभर 1:3:0	सांभर 1:3:0
16.	अरीगनर अन्ना प्राणी उद्यान, वंडालूर, चेन्नई, तमिलनाडू	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, बिहार
	रॉयल बंगाल बाघ 1:1:0	- -
17.	कानन पेंडारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	गाँधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
	स्लोथ भालू 1:1:0	लव बर्ड 2:2:0
	चार सींग वाला मृग - चौसेंधा मृग 1:1:0	कोकाटील 5:5:0
	- -	बजरीगर 5:5:0
18.	कानन पेंडारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	नंदनवन चिड़ियाघर & रायपुर जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
	घड़ियाल 1:1:0	- -
19.	नवाब वाजीद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	नागालैंड प्राणी उद्यान, रंगापहार, दीमापुर, नागालैंड
	घड़ियाल 3:3:0	हिमालयन काला भालू 1:1:0
	- -	तेदुआ बिल्ली 1:1:0
20.	सयाजीबाग चिड़ियाघर, वडोदरा, गुजरात	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट, गुजरात
	शून्य शून्य	कृष्ण मृग 4:12:0
21.	साउथ खैरबारी मिनी चिड़ियाघर, अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल	बर्धमान प्राणी उद्यान, बर्धमान, पश्चिम बंगाल
	तेदुआ 1:0:0	शून्य शून्य
22.	रसिकबील मिनी चिड़ियाघर, कूचबिहार, पश्चिम बंगाल	बर्धमान प्राणी उद्यान, बर्धमान, पश्चिम बंगाल
	तेदुआ 0:1:0	शून्य शून्य
23.	बिरसा मृग विहार, कलामती, झारखंड	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, रांची, झारखंड
	सांभर 4:0:0	सांभर 4:0:0
24.	श्री चमाराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूर, कर्नाटक	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, बिहार
	ब्लैक क्रोनेड नाइट हेरोन 10:10	स्लोथ भालू 1:1

क्र. सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर का नाम		चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर का नाम	
	गौर	1:0	जंगली बिल्ली	0:1
	लेडी अमहेस्ट फिजेट	1:1	सिल्वर फिजेट	1:1
	येली गोल्डेन फिजेट	1:1		
	सिल्वर फिजेट	1:1		
25.	सक्करबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़, गुजरात एशियाई शेर (पेंथरा लियोपेरसिका)	1:1:0	इंदरोड़ा नेचर उद्यान, गांधीनगर, गुजरात शून्य	शून्य
26.	असम स्टेट चिड़ियाघर, गुवाहाटी, असम		नागालैंड प्राणी उद्यान, रंगापहार, दीमापुर, नागालैंड	
	सेरो	0:0:0	सेरो	1:0:0
27.	वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान, चिड़ियाघर बाइकुला, मुंबई, महाराष्ट्र		डॉ. शिवरामा करनकरन्थ पिलिकुला निसरगा धामा, वमंजूर, मंगलुरु, कर्नाटक	
	पेंटेड सारस	2:2:0	कॉमन पाम सिवेट	1:1:0
	अफ्रीकन ग्रे तोता	1:1:0	गोल्डेन जेकाल	1:1:0
	अलेग्जैंड्रिन पैराकीट	2:0:0	तेदुआं	1:1:0
			भारतीय मोर	1:1:0
28.	बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु, कर्नाटक		अटल बिहारी वाजपाई प्राणी उद्यान, कमलपुरा, बेल्लारी, कर्नाटक	
	शेर	1:1:0	-	-
29.	श्री चमाराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूर, कर्नाटक		अटल बिहारी वाजपाई प्राणी उद्यान, कमलपुरा, बेल्लारी, कर्नाटक	
	बंगाल बाघ	1:1:0	-	-
30.	इन्दिरा गांधी प्राणी उद्यान, विसाखापटनम, आंध्र प्रदेश		श्री चमाराजेन्द्र प्राणी उद्यान, मैसूर, कर्नाटक	
	जंगली कुत्ता	2:2:0	भारतीय ग्रे भेड़िया	1:1:0
	-	-	सारस क्रेन	1:1:0
31.	सक्करबाग प्राणी उद्यान, जूनागढ़, गुजरात		लायन ब्रीडिंग सेंटर और मल्टिपल सफारी पार्क, इटावा, उत्तर प्रदेश	
	एशियाई शेर	2:6:0	-	-
32.	सक्करबाग प्राणी उद्यान, जूनागढ़, गुजरात		माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर, राजस्थान	
	-	-	भारतीय ग्रे भेड़िया	0:2:0
33.	नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल्स उद्यान, सिलीगुरु, पश्चिम बंगाल		प्राणी उद्यान, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	
	बंगाल बाघ	1:0:0	-	-
34.	प्राणी उद्यान, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल		संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, बिहार	
	जेबरा	0:1:0	सफेद बाघ	1:0:0
	-	-	कृष्ण मृग	3:3:0
	-	-	सांभर	1:1:0
35.	बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु, कर्नाटक		अटल बिहारी वाजपाई प्राणी उद्यान, कमलपुरा, बेल्लारी, कर्नाटक	
	बाघ	1:1:0	-	-
36.	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत, गुजरात		सज्जंगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर, राजस्थान	
	स्लोथ भालू	0:1:0	-	-
37.	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली		महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाईगर सफारी एंड चिड़ियाघर, सतना, मध्य प्रदेश	
	संगाई हिरण	3:3:0	-	-
38.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान		कानन पेंडारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर,	

क्र. सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर का नाम	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर का नाम
		छत्तीसगढ़
	भारतीय ग्रे भेड़िया 1:1:0	स्लोथ भालू 1:1:0
39.	वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान & चिड़ियाघर, बाइकुला, मुंबई, महाराष्ट्र	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत, गुजरात
	पेंटेड सारस 2:2:0	स्लोथ भालू 0:1:0
	अफ्रीकन ग्रे तोता 1:1:0	गोदड़ 1:1:0
	कक्कड़ हिरण 2:2:0	-
40.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान	श्री चमाराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूर, कर्नाटक
	भारतीय ग्रे भेड़िया 1:1:0	दरियाई घोड़ा 1:1:0
41.	बचाव और पुनर्वास घर, टूटीकांडी, हिमाचल प्रदेश	लुधियाना चिड़ियाघर, लुधियाना, पंजाब
	हिमालयन काला भालू 1:1:0	-
42.	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमंड़ी, रांची, झारखंड	प्राणी उद्यान, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
	कृष्ण मृग 3:4:0	-
43.	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमंड़ी, रांची, झारखंड	सुंदरवन वाइल्ड एनिमल्स उद्यान, झारखली, पश्चिम बंगाल
	चीतल 16:31:0	-
44.	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमंड़ी, रांची, झारखंड	जंगलमहल प्राणी उद्यान, झारग्राम, पश्चिम बंगाल
	सांभर 1:1:0	-
45.	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमंड़ी, रांची, झारखंड	सुरुलिया मिनी चिड़ियाघर, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल
	सांभर 1:1:0	-
46.	बिरसा मृग विहार, कलामती, झारखंड	जंगलमहल प्राणी उद्यान, झारग्राम, पश्चिम बंगाल
	सांभर 1:2:0	-
47.	बिरसा मृग विहार, कलामती, झारखंड	सुरुलिया मिनी चिड़ियाघर, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल
	सांभर 1:2	-
48.	बिरसा मृग विहार, कलामती, झारखंड	बर्धवान प्राणी उद्यान, बर्धमान, पश्चिम बंगाल
	सांभर 1:3	-
49.	बर्धमान प्राणी उद्यान, बर्धवान, पश्चिम बंगाल	साउथ खैरबारी मिनी चिड़ियाघर, अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल
	-	तेदुआं 1:0:0
50.	बर्धमान प्राणी उद्यान, बर्धवान, पश्चिम बंगाल	रसिकबील मिनी चिड़ियाघर, कूचबिहार, पश्चिम बंगाल
	-	तेदुआं 0:1:0
51.	असम स्टेट चिड़ियाघर, गुवाहाटी, असम	श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, तिरुपति, आंध्र प्रदेश
	स्लो लोरिस 2:0:0	हाइब्रिड शेर 1:1:0
	जंगली बिल्ली 1:1:0	पेंटेड सारस 0:0:4
	हिमालयन काला भालू 1:1:0	कृष्ण मृग 1:2:0
	ग्रेटर एडजुस्टेड स्टोर्क 1:1:0	मोर 2:2:0
	संघाई 2:2:0	सफेद मोर 1:1:0
	कक्कड़ हिरण 2:2:0	
	पाड़ा -होग हिरण 2:2:0	

क्र. सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर का नाम	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर का नाम
	बर्मिअ अजगर 0:0:1	
52.	पिलिकुला जैविक उद्यान, मंगलुरु, कर्नाटक	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद, तेलंगना
	किंग कोबरा 1:1:0	माऊस हिरण 4:2:0
	सिलोन कैट स्लेक 1:1:0	भारतीय गिरगिट 3:3:0
		ग्रीन इग्युना 2:2:0
53.	महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान, छतबीर, पंजाब	श्री चमराजेन्द्र प्राणी उद्यान, मैसूर, कर्नाटक
	कृष्ण (सफेद) मृग 1:1:0	चोसिंगा मृग 1:1:0
	सारस क्रैन 1:1:0	सारस क्रैन 1:1:0
	लाल जंगली मुर्गी 1:1:0	रेड जंगल फौल 1:1:0
	पेंटेड सारस 2:2:0	काला हंस 1:2:0
	कोबड बत्तख 2:2:0	रेनबो लोरिकीट 1:1:0
	लेस्सर व्हिस्लिंग बत्तख 2:2:0	-
54.	कानन पेंडारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली
	जंगली सूअर 1:0:0	गोरल 1:1:0
	स्तोथ भालू 1:0:0	
55.	गाँधी प्राणी पार्क, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली
	भारतीय कोबरा 2:2:0	पेंटेड सारस 0:0:6
	रेट साँप 2:2:0	इबिस व्हाइट 0:0:4
	अजगर 3:2:0	लाल जंगली मुर्गी 2:4:0
	कॉमन सैंड बोआ 1:1:0	सांभर 1:2:0
	रेड सैंड बोआ 1:1:0	
	मॉनिटर छिपकली 1:1:0	
56.	गाँधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल, उत्तराखंड
	बाघ 0:1:0	तेंदुआ 1:1:0
57.	असम स्टेट चिड़ियाघर, गुवाहाटी, असम	मणिपुर प्राणी उद्यान, इम्फाल, मणिपुर
	तेंदुआ 1:0:0	
58.	हिमालयन प्रकृति उद्यान, कुफ़री, हिमांचल प्रदेश	धौलाधार प्रकृति उद्यान, गोपालपुर, हिमांचल प्रदेश
	चीर फिजेंट 2:0:0	

4.8.2 भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य विनिमय प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य जंतुओं के तीन विनिमय प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

क्र. सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर
1.	जीलीन चिड़ियाघर, चेक रिपब्लिक	श्री चमराजेन्द्र प्राणी उद्यान, मैसूर, कर्नाटक
	कॉमन मरमोसेट 1:1:0	गौर 2:2:0
	मीरकट 3:4:0	
	डेमोसाइल क्रैन 2:3:0	

क्र. सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर		चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर	
	ब्लैक नेक्ड स्वान	2:2:0		
	मिलिटरी मकाव	2:2:0		
	डार्विन रहिया	1:2:0		
	स्करलेट मकाव	2:2:0		
2.	क्रोकोडिल्ले चिड़ियाघर, दानिश क्रोकोडाइल एक्सिबिशन, डेनमार्क		सेंटर फॉर हेरपेटोलोजी, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, ममल्लापुरम, तमिलनाडु	
	फिलिपीनी क्रोकोडाइल	1:1:0	घडियाल	2:3:0
	ब्लैक काइमन	1:0:0		
3.	श्री चमराजेन्द्र प्राणी उद्यान, मैसूर, कर्नाटक		सिंगापुर प्राणी उद्यान, सिंगापुर	
	एशियन एलिफेंट	0:2:0	साउथरन व्हाइट राइनोसेरोस	1:1:0

4.8.3 भारतीय चिड़ियाघरों से जानवरों के स्थानांतरण के प्रस्ताव

उपरोक्त जानवरों के आदान प्रदान के प्रस्तावों के अलावा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा भारतीय चिड़ियाघर के लिए निम्न जानवरों के स्थानांतरण प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

1. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कुछ शर्तों के अनुपालन के साथ चीतल (30:20) की अतिरिक्त आबादी को कोटा चिड़ियाघर, कोटा से मुकंदरा टाइगर रिजर्व, राजस्थान को निर्वासित करने के प्रस्ताव को अनुमति दी है।
2. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कुछ शर्तों के अनुपालन के साथ चीतल (100) की अतिरिक्त आबादी को बीकानेर चिड़ियाघर, बीकानेर से मुकंदरा टाइगर रिजर्व, राजस्थान को निर्वासित करने के प्रस्ताव को अनुमति दी है।
3. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कुछ शर्तों के अनुपालन के साथ सांभर हिरण (8:10) और चीतल (60:80) की अतिरिक्त आबादी को भगवान बिरसा जैविक उद्यान, रांची से पलामू टाइगर रिजर्व, डाल्टनगंज, बिहार को निर्वासित करने के प्रस्ताव को अनुमति दी है।
4. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बचाव केंद्र, राजीव गांधी प्राणी उद्यान, पुणे में रखे गए दो बचाए गए लंबे बिल वाले गिद्ध को चल रहे प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण केंद्र, पीजोरे को हस्तांतरण के प्रस्ताव को अनुमति दी है।
5. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कुछ शर्तों के अनुपालन के साथ बचाव केंद्र, राजीव गांधी प्राणी उद्यान, पुणे में रखे गए भारतीय चित्तीदार कछुओं (जियोक्लेमिस हेमिल्टन) (52 नग) को उनके प्राकृतिक आवास असम राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति दी है।
6. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कुछ शर्तों के अनुपालन के साथ अलग-अलग चिड़ियाघरों के सरप्लस चीतल जो कि गरनुमुक हिरण पार्क, हावड़ा (39 नग), जंगलमहल प्राणि उद्यान, झारग्राम (80 नग) और सुरुलिया मिनी चिड़ियाघर, पुरुलिया (30 नग) को पश्चिम बंगाल चिड़ियाघर प्राधिकरण के तहत पश्चिम बंगाल वन निदेशालय के अधीन वन क्षेत्र में निर्वासित करने के प्रस्ताव को अनुमति दी है।
7. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कुछ शर्तों के अनुपालन के साथ एकल गृहस्थ फीमेल कृष्ण मृग को महाराजा शाहजी छत्रपति चिड़ियाघर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से राजीव गांधी प्राणी उद्यान, पुणे को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को अनुमति दी है।

4.9 चिड़ियाघर की प्रभावी योजना प्रक्रिया

चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 10.3(1) के प्रावधानों के अधीन अपने दीर्घकालिक विकास के लिए देश के सभी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों को अपने मास्टर प्लान तैयार करने हैं और यह चिड़ियाघर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। यह मास्टर प्लान आगामी बीस वर्षों के लिए तैयार करना है जिसे आवश्यकतानुसार 10 वर्ष की अवधि के पश्चात फिर से संशोधित किया जा सकता है। यह प्रावधान वैज्ञानिक पद्धति पर चिड़ियाघर के नियोजित विकास के लिए किया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों को अपने मास्टर प्लान की तैयारी के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस प्रकार, देश में मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर लंबी अवधि के विकास के लिए अपने मास्टर प्लान तैयार करते हैं तथा इसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कराते हैं।

4.9.1 मास्टर प्लान

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी भी चिड़ियाघर का मास्टर प्लान का अनुमोदित नहीं किया।

4.9.2 मास्टर (लेआउट) प्लान

मास्टर (लेआउट) प्लान चिड़ियाघर के मास्टर प्लान का एक हिस्सा है जो चिड़ियाघर के विभिन्न बुनियादी ढांचे व सुविधाओं को इंगित करता है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2019 तक निम्न चिड़ियाघरों के 12 मास्टर (लेआउट) प्लान की मंजूरी दी है:

क्रमांक	चिड़ियाघर का नाम और स्थान
1.	किट्टुर रानीचननामा लघु चिड़ियाघर, भूतर्मनहट्टी, बेलगावी, कर्नाटक
2.	अदूमल्लेस्वरा चिल्ड्रेन पार्क एवं लघु चिड़ियाघर, चित्रदुर्गा, कर्नाटक
3.	वी जे बी उद्यान चिड़ियाघर, बाईकूला, मुंबई, महाराष्ट्र
4.	कमला नेहरू प्राणी गार्डन, अहमदाबाद, गुजरात
5.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्राणी उद्यान, कमलपुरा, होसपेट बेल्लारी, कर्नाटक
6.	सयाजीबाग चिड़ियाघर, वडोदरा और सैटिलाइट फैसिलिटी, अजवा, गुजरात
7.	चिल्ड्रेन'स पार्क एवं चिड़ियाघर, बिकडाकट्टी, गडग, कर्नाटक
8.	राज्य चिड़ियाघर, उमट्ट, शिलांग, मेघालय
9.	राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, राजगीर, बिहार
10.	टाईगर और लायन सफारी, शिमोगा, कर्नाटक
11.	गोरेवाड़ा इंटरनेशनल चिड़ियाघर, गोरेवाड़ा, नागपुर, महाराष्ट्र
12.	असम स्टेट चिड़ियाघर एवं जैविक गार्डन, गुवाहाटी, असम

4.10 अन्य

4.10.1 केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वेबसाइट का पुनः विकास व स्थानांतरण

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वेबसाइट को भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से "मेघराज" नामक भारत सरकार के क्लाउड पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए नया रूप दिया गया है। इसे <http://cza.nic.in> पर देखा जा सकता है।

4.10.2 उपयोगिता प्रमाण पत्र

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2004-2005 से 2014-15 तक की अवधि में विभिन्न चिड़ियाघरों को जारी किये गये सहायता अनुदान राशि के बहुत से उपयोगिता प्रमाण पत्र आने लंबित थे। जिसमें से 53 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से चार को छोड़कर सभी मामलों को सुलझा लिए गये। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के सभी उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त एवं निपटान करने का प्रयास किया गया। केवल चार उपयोगिता प्रमाण पत्रों जो कि धनराशि रु. 40.64 लाख का निपटारा किया जाना है जो कि समय के साथ प्राप्त किया जाएगा।

5.0 वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) का रखरखाव

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहारादून को एक परियोजना नामित "डेल्टापमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टडबुक फॉर सेलेक्टेड एण्डेंजेर्ड स्पेशीस इन इंडियन जू" को अनुमोदित किया था। परियोजना के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहारादून को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची I और II में सूचीबद्ध चिन्हित लुप्तप्राय जंगली जानवरों की प्रजातियों की वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) बनाने, अद्यतन और रखरखाव का कार्य प्रदान किया गया है।

उक्त संदर्भ में, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहारादून ने 27.03.2012 को चिड़ियाघरों में रखे जंगली जानवरों की चिन्हित लुप्तप्राय प्रजातियों की राष्ट्रीय वंशावली पुस्तक (स्टडबुक)/ हर्डबुक बनाने, अद्यतन और रखरखाव कार्य का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। समझौता ज्ञापन के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहारादून में मौजूदा 14 प्रजातियाँ, रॉयल बंगाल बाघ, एशियाई शेर, शेर पूछ बंदर, भारतीय गैडा, हुल्क बंदर (हुलोक्क गिब्बन), घोरखर, गौर, तिब्बती भेड़िया, नीलगिरी लंगूर, ढोल, लाल पांडा, हिम तेंदुआ और भूटान स्लेटी मोर (भूटान ग्रे पीकॉक) फीजेंट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त समझौते के अनुसार, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहारादून 20 अन्य चिन्हित लुप्तप्राय जंगली जानवरों की प्रजातियाँ, चिंकारा, स्लेटी (ग्रे) भेड़िया, सुनहरी लंगूर, भारतीय सिल्लू या चीटी खोर या बाजरकोट (इंडियन पेंगोलीन), चमर गिद्ध (व्हाइट बैकड वल्चर), लंबी चोंच गिद्ध (लॉन्ग बिल्ड वल्चर), पतल चोंच गिद्ध (स्लेंडर बिल्ड वल्चर), निकोबार कबूतर, सूअर पूछ बंदर, पर्वतीय जंगली बकरी, चशमा बंदर (स्पेक्टेक्ल लंगूर), बारहसिंघा, चीर फीजेंट, हिमालयन मोनाल, पश्चिमी ट्रेगोपेन, चौसिंघा, मूषक हिरण, ठूठ पूछ या सिंदूरीय बंदर, संगई और नीली भेड़ (ब्लू शीप) को राष्ट्रीय वंशावली पुस्तक (स्टडबुक)/ हर्डबुक बनाने, अद्यतन और रखरखाव का कार्य निष्पादन करेगा।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस परियोजना की पुनरीक्षण बैठक पिछले वर्ष जुलाई, 2016 और मार्च, 2018 को आयोजित की थी। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण देश के चिड़ियाघरों में आवासित जानवरों की पशु-सूची वर्ष 2017-18 के अनुसार सभी 34 प्रजातियों की वंशावली पुस्तक (स्टडबुक)

प्राथमिकता के आधार पर अद्यतन की जाएगी। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सभी 34 चिह्नित की गई प्रजातियों की वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) को परियोजना की अवधि के अंत तक, जो कि जून 2018 है, प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।

तदनुसार भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा सभी 34 प्रजातियों की वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) को अंतिम परियोजन प्रतिवेदन के साथ केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। सभी वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वेबसाइट www.cza.nic.in में हितधारकों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

6.0 संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नियोजित संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम के लिए 73 लुप्तप्राय वन्य पशु प्रजातियों की पहचान की है। संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम पहचान किए गए चिड़ियाघरों में 23 प्रजातियों के लिए शुरू किया गया है, जिन्हें संरक्षित लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए समन्वय/ प्रतिभागी चिड़ियाघरों के रूप में नामित किया गया है। यह लक्ष्य है कि भारतीय चिड़ियाघरों में वासित प्रत्येक लक्षित प्रजातियों की कम से कम 100 पशु, जो उचित रूप से प्रजनन और आनुवांशिक, शारीरिक और व्यावहारिक रूप में स्वस्थ हों एवं ये पशु भविष्य की अनिवार्यता की सुरक्षा/ बीमा स्वरूप और अंततः जंगल में छोड़ने के लिए भविष्य में आवश्यकतानुसार देश में उपलब्ध हों।

6.1 संरक्षण प्रजनन केंद्रों को वित्तीय सहायता

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम गिद्ध एवं मूषक हिरण हेतु नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद, ब्लीथ ट्रेगोपेन हेतु नागालैंड प्राणी उद्यान, दीमापुर कोहिमा; बदली तेंदुआ, बिंटूरोग, फायरेस लीफ मंकी और सूअर पूंछ बंदर हेतु सिपाहीजला प्राणी उद्यान, अगरतला और हुल्क बंदर (हलोक्क गिब्बन) हेतु जैविक उद्यान इटानगर को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की नयी और चल रही परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	चिड़ियाघर	जाति	गतिविधि	राशि (₹ लाखों में)
1.	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	मूषक हिरण	जानवरों के चारे एवं रखरखाव, पशु रखरखाव मजदूरी, संरक्षण प्रजनन केंद्र का रखरखाव इत्यादि	22.62
2.		गिद्ध	जानवरों का रखरखाव, जीवविज्ञानी का वेतन, पशु प्रतिपालकों का वेतन संरक्षण प्रजनन केंद्र के रखरखाव के लिए	8.49
3.	नागालैंड प्राणी उद्यान, दीमापुर	ब्लीथ ट्रेगोपेन	संरक्षण प्रजनन केंद्र का रखरखाव	13.72
4.	सिपाहीजला प्राणी	बदली तेंदुआ, फायरेस लीफ	जीवविज्ञानी का वेतन, पशु प्रतिपालकों का वेतन, जानवरों के	27.82

क्र.सं.	चिड़ियाघर	जाति	गतिविधि	राशि (₹ लाखों में)
	उद्यान, अगरतला	मंकी, सूअर पूछ बंदर एवं बिटूरिंग	चारे एवं रखरखाव, सभी चार प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन केंद्र का रखरखाव इत्यादि	
5.	जैविक उद्यान, इटानगर	हुल्क बंदर (हुलोवक गिब्बन)	जीवविज्ञानी का वेतन, पशु प्रतिपालकों का वेतन संरक्षण प्रजनन केंद्र के रखरखाव के लिए	30.51

गिद्ध, मूषक हिरण, चीर फीजेंट और लाल पांडा इत्यादि प्रजातियाँ चिड़ियाघरों में अच्छी तरह से प्रजनन कर रही हैं। चिड़ियाघरों में जन्मे लाल पांडा को अतीत में उनके प्राकृतिक आवास में वापिस छोड़ गया था। इसी तरह, कुछ मूषक हिरणों को अमराबाद टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया है तथा उनकी निगरानी की जा रही है। जून 2016 में गिद्ध को रेडियो टैगिंग करने के बाद छोड़ा गया है तथा कुछ और पक्षियों को, रेडियो टैगिंग के बाद जल्दी ही उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा।

लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन की दिशा में पिछले पाँच वर्षों के प्रयासों के परिणाम कुछ प्रजातियों के संबंध में सारणीबद्ध रूप से नीचे दिखाए गए हैं :

मूषक हिरण (मोसचिओला मेमीना)

साल	नर	मादा	अलिंग	कुल
2014-2015	29	44	42	115
2015-2016	40	41	82	163
2016-2017	80	61	81	222
2017-2018	93	66	93	252
2018-2019	111	108	27	246

शेर पूछ बंदर (मकाका सिलेन्स)

साल	नर	मादा	अलिंग	कुल
2014-2015	27	25	9	61
2015-2016	24	22	9	55
2016-2017	24	23	6	53
2017-2018	20	22	7	49
2018-2019	23	24	4	51

हलड तेंदुआ (अनशुडड अनशुडड)

सलल	नर	डलदल	अललंग	कुल
2014-2015	4	10	0	14
2015-2016	1	9	0	10
2016-2017	3	9	0	12
2017-2018	3	9	0	12
2018-2019	4	8	0	12

ललल डलंडल लेससर (अडललुरुस डललऑलनुस डललऑलनुस)

सलल	नर	डलदल	अललंग	कुल
2014-2015	13	13	0	26
2015-2016	14	9	3	26
2016-2017	10	11	2	23
2017-2018	8	11	5	24
2018-2019	10	19	1	30

डरललडुड डुरुगुडुन (डुरुगुडुन डुडलनलनुसलडललस)

सलल	नर	डलदल	अललंग	कुल
2014-2015	17	14	0	31
2015-2016	16	13	0	29
2016-2017	16	11	0	27
2017-2018	16	13	8	37
2018-2019	23	23	0	46

ऑलर डुडऑलंत (ऑलंतरीअस वलललुऑल)

सलल	नर	डलदल	अललंग	कुल
2014-2015	22	13	0	35
2015-2016	17	27	0	44
2016-2017	18	26	0	44
2017-2018	8	8	3	19
2018-2019	16	25	4	45

7.0 मानव संसाधन विकास

7.1 प्रशिक्षण/ कार्यशाला/ संगोष्ठी

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण हर साल चिड़ियाघरों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारी की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण/ कार्यशाला/ संगोष्ठी इत्यादि का आयोजन करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, चिड़ियाघरों में कार्यरत मानव संसाधन विकास के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा विभिन्न चिड़ियाघरों के सहयोग से आयोजित की गई, जिनका विवरण निम्न है:-

क्र. सं.	प्रशिक्षण / कार्यशाला	स्थान	प्रशिक्षण की तिथियां	अपेक्षित प्रतियोगी	वास्तविक प्रतियोगी
1	भारतीय चिड़ियाघरों का वार्षिक अधिवेशन 2018-19	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी गार्डन, लखनऊ	12 से 15 नवम्बर, 2018	30	17 प्रतियोगी 17 विभिन्न चिड़ियाघरों से
2	मिडिल मैनेजमेंट ऑफिसर ट्रेनिंग	दिल्ली	15 से 17 मार्च, 2019	50	31 प्रतियोगी 31 विभिन्न चिड़ियाघरों से
3	जू कीपर ट्रेनिंग फॉर नॉर्थ-ईस्ट रिजन	मणिपुर प्राणी उद्यान, इम्फाल	4 से 8 फरवरी, 2019	30	27 प्रतियोगी 11 विभिन्न चिड़ियाघरों से
4	जू कीपर ट्रेनिंग फॉर साउथ रिजन	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	18 से 22 मार्च, 2019	30	17 प्रतियोगी 17 विभिन्न चिड़ियाघरों से
5	जू कीपर ट्रेनिंग फॉर वेस्ट रिजन	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत, गुजरात	4 से 10 मार्च, 2019	30	30 प्रतियोगी 26 विभिन्न चिड़ियाघरों से
6	जू कीपर ट्रेनिंग फॉर ईस्ट रिजन	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, झारखंड, ओरमंझी,	17 से 21 दिसम्बर, 2018	30	32 प्रतियोगी 24 विभिन्न चिड़ियाघरों से
7	जू कीपर ट्रेनिंग फॉर नॉर्थ रिजन	इटावा लायन सफारी, इटावा, उत्तर प्रदेश	20 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 2018	30	35 प्रतियोगी 25 विभिन्न चिड़ियाघरों से
8	जू कीपर ट्रेनिंग फॉर नॉर्थ रिजन (2017-18 के लिए)	एम.सी. प्राणी उद्यान, छतबीर	18 से 22 मार्च, 2019	30	32 प्रतियोगी 15 विभिन्न चिड़ियाघरों से
9	ब्रेनस्टोर्मिंग सेसन " ग्रीन स्किल डेव्लपमेंट प्रोग्राम "	दिल्ली	17-08-2019		

7.2 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारतीय चिड़ियाघरों के पशु चिकित्सा अधिकारियों के कोशल के उन्नयन हेतु, चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वाशिंगटन स्मिथसोनियन नेशनल जूलॉजिकल पार्क, वाशिंगटन डी.सी., यू.एस.ए. के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के तहत भारतीय चिड़ियाघरों में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु द्वितीय कार्यक्रम "वेटेरिनरी एनेस्थीशिया टु हेर्बिवोरे, रेपटाइल एंड अवइस स्पेसी" नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद में आयोजित कराने का अनुमोदन किया। समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के तहत, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने स्मिथसोनियन नेशनल जूलॉजिकल पार्क, वाशिंगटन डी.सी., यू.एस.ए. के सहयोग से पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम "केपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंडियन जू वेटेरिनरियंस" राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में सितंबर, 2017 में आयोजित किया था।

8.0 अनुसंधान और शिक्षा

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है:

8.1 बंदी वन्यजीवों की प्रजातियों के लिए "प्रबंधन मैनुअल"

अ) मांसाहारी प्रजाति

- i. एशियाई शेर (पैथेरा लियो पर्सिका)
- ii. रॉयल बंगाल टाइगर (पैथेरा टाइगरिस टाइगरिस)
- iii. कॉमन तेंदुआ (पैथेरा परदूस)
- iv. हिम तेंदुआ (पैथेरा उनिया)
- v. क्लाउडेड तेंदुआ (नियोफेलिस नेबुलोसा)
- vi. तेंदुआ बिल्ली (प्रियनैलुरस बेंगलेंसिस)
- vii. जंगल बिल्ली (फेलिस चेस)
- viii. मत्स्य बिल्ली (प्रियनैलुरस विवरिनस)
- ix. जंगली चित्तीदार बिल्ली (प्रियनैलस रूबिनीशिनस)
- x. एशियाई गोल्डन बिल्ली (कैटोपुमा टेम्पमिनकी)

ब) शाकाहारी प्रजाति

- i. भारतीय हाथी (एलिफस मैक्सिमस सिग्रस)
- ii. एक सींग वाला गैंडा (गैंडा इकसिंगारस)

ऊपर दिये मांसाहारी और शाकाहारी प्रजातियों के "प्रबंधन मैनुअल" विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रख-रखाव मैनुअल, अनुसंधान कार्यों आदि से संबंधित प्रजातियों की जानकारी और पिछले वर्षों में विभिन्न चिड़ियाघरों में किए गए अनुभवों को संकलित करके तैयार किया जाएगा। मैनुअल को "संबंधित (प्रजातियों) के लिए हसबैंडरी प्रैक्टिस" के रूप में नामित किया जाएगा। यह भी तय किया गया था कि इसे चिड़ियाघर में इन प्रजातियों के प्रबंधन का अनुभव रखने वाले कर्मियों और विशेषज्ञों को समीक्षा और टिप्पणियों के लिए मैनुअल को प्रचारित किया जाएगा।

8.2 केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने रुपये 5.10 लाख की वित्तीय सहायता चेन्नई स्नेक पार्क ट्रस्ट, चेन्नई को "ग्रेटर चेन्नई क्षेत्र में सर्प दंश के बारे में जागरूकता और विष-रोधी उपचार " नामक शोध कार्य करने के लिए मंजूरी दी। परियोजना की अवधि एक वर्ष के लिए है।

उक्त शोध कार्य छात्र समुदाय (स्कूल और कॉलेज) सहित जनता के बीच स्नेक बाइट अवेयरनेस और एंटी-वेनम ट्रीटमेंट में जागरूकता, प्राथमिक चिकित्सा और एंटी-वेनम पर हितधारकों (किसान, कृषि कुली, मजदूरों और औद्योगिक कर्मचारियों) की क्षमता निर्माण उपचार और सांपों की पहचान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की दक्षता में सुधार करने के लिए, सांप के काटने के लक्षण और प्राथमिक चिकित्सा पर केन्द्रित होने चाहिए। प्राधिकरण ने सलाह दी कि परियोजना को चेन्नई के 70% ग्रामीण इलाकों और 30% क्षेत्र के रूप में ग्रेटर चेन्नई क्षेत्र में किया जाना चाहिए जैसा कि सांपों और सर्पदंश को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समस्या है।

8.3 केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुसंधान कार्य

अ) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित अध्ययन को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा रु26.00 लाख की वित्तीय सहायता के साथ तीन महीने की अवधि के लिए अनुमोदित किया।

1. पर्यावरण संवर्धन / जानवरों के बाड़े का संवर्धन
2. जैवविविधता जागरूकता, संरक्षण केंद्र के रूप में चिड़ियाघर की भूमिका, जनता को शिक्षित करने में चिड़ियाघरों का महत्व आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर चिड़ियाघर के आगंतुकों का प्रश्नावली सर्वेक्षण।

उक्त अध्ययन का उद्देश्य एक्स-सीटू संरक्षण, जैव विविधता जागरूकता, संरक्षण केंद्र के रूप में चिड़ियाघरों की भूमिका, जनता को शिक्षित करने में चिड़ियाघरों का महत्व आदि के बारे में चिड़ियाघर के आगंतुकों का एक डेटा बेस तैयार करना है और यात्रा पूर्व और यात्रा बाद में के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन करना है। पर्यावरण संवर्धन का परिणाम देश के अन्य चिड़ियाघरों के बाद उदाहरण के उद्देश्य से भी काम करेगा। इसके अलावा, यह न केवल युवाओं को चिड़ियाघर के साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि चिड़ियाघर के वन्य जीवों के कल्याण के लिए काम करने में भी मदद करता है।

ब) मोरथोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ पगमार्क एंड फेसिस ऑफ कपटिव इनमटेस - अ फील्ड रिफ्रेन्स मैनुअल

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उपरोक्त परियोजना को भी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा रु 3.90 लाख की वित्तीय सहायता के साथ तीन महीने की अवधि के लिए अनुमोदित किया है। परियोजना का उत्पादन एक मैनुअल रूप में विकसित किया जाएगा और जैव विविधता और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाएगा। यह चिड़ियाघर के आगंतुकों के बीच शैक्षिक और व्याख्या सामग्री के रूप में भी काम करेगा। मैनुअल चिड़ियाघर के रखवाले, शोधकर्ता और जीवविज्ञानी और अन्य हितधारकों के लिए एक संदर्भ गाइड के रूप में भी काम करेगा।

9.0 प्रकाशन

चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए हैं:

1. मैनुअल फोर "हेल्थ एंड न्यूट्रीशनल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इंडियन जू".
2. "डिज़ाइन गाइडलाइन्स फॉर जू" पर पुस्तक का मुद्रण किया गया।

3. वर्ष 2019 के लिए कैलेंडर "वाइल्डलाइफ इन इंडियन जू" विषय पर जिसको की व्यापक रूप से सराहा गया है।
4. भारतीय चिड़ियाघर 2018 -19 में जानवरों की सूची "वार्षिक सूची" गई, 2019 में अनुसूची के अनुसार अद्यतन की जाएगी।

10.0 चिड़ियाघरों के लिए वित्तीय सहायता

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018 -19 के दौरान अनुदान सहायता के रूप में रु. 12.00 करोड़ प्राप्त हुए हैं। इनमें से, रु. 10.20 करोड़, चिड़ियाघर के सुधार और विकास के लिए और रु. 1.80 करोड़ केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण प्रतिष्ठान के वेतन के लिए थे। इसमें उत्तर पूर्वी भारत में चिड़ियाघर के विकास के लिए अनुदान भी शामिल था। पूरे अनुदान का उपयोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया, जिनमें संरक्षण प्रजनन, बचाव एवं पुनर्वास, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण और परिचालन लागत सम्मिलित है।

10.1 चिड़ियाघरों में सुधार

वित्तीय वर्ष 2018 -19 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने रु. 10,68,77,500/- बचाव केंद्रों, संरक्षण प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण इत्यादि के रखरखाव सहित चिड़ियाघर के सुधार के लिए नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार धन राशि दी गयी है:

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर संगठन का नाम / और स्थान	उद्देश्य	धनराशि (रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम	बचाव और पुनर्वास	6,40,000
		इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम	बचाव और पुनर्वास	13,43,000
		श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, तिरुपति	बचाव और पुनर्वास	1,89,000
		श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, तिरुपति	बचाव और पुनर्वास	29,97,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	जैविक उद्यान, इटानगर	संरक्षण प्रजनन	30,51,000
		जैविक उद्यान, इटानगर	चिड़ियाघरों के सुधार	1,35,00,000
3.	असम	असम राज्य चिड़ियाघर सह जैविक उद्यान, गुवाहाटी	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	6,36,000
4.	बिहार	संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना	चिड़ियाघरों के सुधार	2,32,50,000
5.	गुजरात	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	6,00,000
		राजकोट म्यूनिसिपल कापोरेशन, राजकोट, गुजरात	चिड़ियाघरों के सुधार	20,02,000
		सुंदरवन नेचर डिस्कवरी सेंटर, अहमदाबाद, गुजरात	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	3,97,500

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर संगठन का नाम / और स्थान	उद्देश्य	धनराशि (रुपये में)
6.	झारखंड	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, रांची	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	4,70,000
7.	कर्नाटक	बनेर्घटा जैविक उद्यान बेंगलुरू	बचाव और पुनर्वास	20,55,000
		बनेर्घटा जैविक उद्यान बेंगलुरू	बचाव और पुनर्वास	23,17,000
		कर्नाटक चिड़ियाघर प्राधिकरण (श्री चमरजेंद्र प्राणी उद्यान, मैसूर)	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	8,75,000
		डॉ. शिवराम करन्थ पिल्लीकुला जैविक उद्यान	चिड़ियाघर में सुधार	33,60,000
8.	मध्य प्रदेश	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल	बचाव और पुनर्वास	6,07,000
		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल	चिड़ियाघर में सुधार	3,00,000
		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल	बचाव और पुनर्वास	11,80,000
		कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, इंदौर	चिड़ियाघर में सुधार	7,56,000
9.	महाराष्ट्र	राजीव गांधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव अनुसंधान केंद्र, पुणे	चिड़ियाघर में सुधार	58,74,000
10.	मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	4,29,000
11.	नागालैंड	नागालैंड प्राणी उद्यान, रंगापहाड़	चिड़ियाघर में सुधार	68,74,000
		नागालैंड प्राणी उद्यान, रंगापहाड़	संरक्षण प्रजनन	13,72,000
		नागालैंड प्राणी उद्यान, रंगापहाड़	चिड़ियाघर में सुधार	59,42,000
12.	पंजाब	एम. सी. प्राणी उद्यान, छतबीर	चिड़ियाघर में सुधार	21,00,000
13.	राजस्थान	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	बचाव और पुनर्वास	4,35,000
		नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	बचाव और पुनर्वास	5,60,000
14.	सिक्किम	हिमालयन प्राणी उद्यान, बुलबुले	चिड़ियाघर में सुधार	14,05,000
15.	तमिलनाडु	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वेंडलूर, चेन्नई	बचाव और पुनर्वास	14,38,000
		चेन्नई सर्प उद्यान ट्रस्ट, चेन्नई	अनुसंधान	2,55,000
16.	तेलंगाना	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	4,90,000

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर संगठन का नाम / और स्थान	उद्देश्य	धनराशि (रुपये में)
		नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	संरक्षण प्रजनन	8,49,000
		नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	संरक्षण प्रजनन	22,62,000
		नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	अनुसंधान	1,18,000
		नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	43,20,000
17.	त्रिपुरा	सिपाहीजला प्राणी उद्यान, त्रिपुरा	संरक्षण प्रजनन	27,82,000
		सिपाहीजला प्राणी उद्यान, त्रिपुरा	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	6,63,000
18.	उत्तर प्रदेश	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	27,26,000
		लायन ब्रीडिंग केंद्र और मल्टीपल सफारी पार्क, इटावा, उत्तर प्रदेश	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	4,86,000
		भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली	अनुसंधान	6,60,000
19.	उत्तराखंड	पंडित जी बी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल	चिड़ियाघर में सुधार	11,94,000
		देहरादून चिड़ियाघर, देहरादून	चिड़ियाघर में सुधार	31,18,000
कुल				10,68,77,500

10.2 बचाव केन्द्रों को अनुदान राशि का आबंटन

भारत सरकार के 14 अक्टूबर, 1998 की अधिसूचना के द्वारा जारी आदेशों के बाबत सर्किस में रखे शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और बंदर के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध का मूल उद्देश्य इन जानवरों को राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति की भावनाओं के मद्देनजर अनूकूल आवासीय रख-रखाव एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना था। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को इन जानवरों के रख-रखाव एवं पुनर्वास की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। उस समय सर्किस से बचाए गए शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और बंदर की संख्या क्रमशः 375, 96, 21, 37 और 20 थी। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और देश के मौजूदा चिड़ियाघरों में ऐसी सुविधा के अभाव में इन जानवरों के आवास और अन्य सुख-सुविधाओं के लिए देश भर में अलग से ऐसी एक सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता थी।

तदनुसार, भारत सरकार ने इन जानवरों के लिए ऐसी नामित सुविधाओं के निर्माण पर सहमति प्रकट की। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी, और प्राधिकरण के वर्ष 1999-2000 के बजट में इसका विशेष प्रावधान किया गया। अतः 7 बचाव केन्द्रों की स्थापना बेंगलोर, चेन्नई, तिरुपति, विशाखापटनम, भोपाल, साउथ खैरबारी और जयपुर में की गयी। इन बचाव केन्द्रों के संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी संबन्धित चिड़ियाघरों, जिनके परिसर में यह सुविधा स्थापित की गयी है, को दी गयी। इन जानवरों के लिए यह एक जीवन भर की देखरेख की सुविधा है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इन 7 बचाव केन्द्रों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए प्रत्येक वर्ष वित्तीय अनुदान प्रदान करती आ रही है। इन जानवरों के आहार, उचित रख-रखाव व स्वास्थ्य देखभाल के लिए यह अनुदान दिया जाता है। इस संबंध में निर्धारित मानक एवं मानदंडों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

बचाव केन्द्रों के स्थापना के बाद विगत कुछ वर्षों में जानवरों के प्राकृतिक मृत्यु प्रक्रिया के कारण वर्तमान में सर्कस से बचाए गए शेर और बाघ की संख्या कम होकर क्रमशः 41 और 8 रह गयी है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 6 बचाव केन्द्रों के जानवरों के उचित रख-रखाव, आहार और दवा आदि के लिए रु. 1.37 करोड़ की धनराशि दो किस्तों में प्रदान की। जिसका विवरण निम्नवत है :

क्र. स.	बचाव केंद्र का नाम और स्थान	रुपये में राशि
1.	इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापट्टनम	(6,40,000+13,43,000) = 19,83,000
2.	श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, तिरुपति	(1,89,000+29,97,000) = 31,86,000
3.	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बेगलुरु	(20,55,000+23,17,000) = 43,72,000
4.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल	(6,07,000+11,80,000) = 17,87,000
5.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	(4,35,000+5,60,000) = 9,95,000
6.	अरीगनर अन्ना प्राणी उद्यान, वेंडलूर, चेन्नई	14,38,000
कुल		1,37,61,000

11.0 वार्षिक लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वर्ष 2018 -19 के खातों का लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के अधीन महानिदेशक लेखा परीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण के 31 मार्च, 2019 तक लेखा-खातों का तुलन पत्र, आय एवं व्यय खाते, प्राप्ति व भुगतान खाते एवं विभिन्न अनुसूचियों के साथ अनुलग्नक। व॥ में दिये गए हैं :

अनुलग्नक-1

वित्तीय विवरण का प्रारूप
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 को तुलन-पत्र की स्थिति

(राशि ₹ में)

कोष/पूँजी कोष और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कोष/पूँजी कोष	1	1,21,32,766	2,01,57,459
रक्षित एवं अधिपेश	2	-	-
निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण और उधारी	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधारी	5	-	-
अस्थगित क्रेडिट देयता	6	-	-
चालू देयता और प्रावधान	7	56,02,415	18,06,483
योग		1,77,35,181	2,19,63,942
सम्पत्तियां			
स्थायी सम्पत्तियां	8	32,44,656	37,52,682
निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
चालू सम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	1,44,90,525	1,82,11,260
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजन की सीमा में न हो)			
कुल		1,77,35,181	2,19,63,942
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकरिमक देयताएं और लेखों के संबंध में टिप्पणियाँ	25		

वित्तीय विवरण का प्रारूप
(गैर-लामकारी संगठन)
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार समाप्त होने वाले
वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

कोष/पूंजी कोष एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्रियों/सेवाओं से प्राप्त आय	12		
अनुदान/सब्सिडी	13	12,00,00,000	12,53,25,196
शुल्क/अशदान	14	6,35,035	5,90,503
निवेशों से आय (निवेश पर आय) निधियों को स्थानान्तरित निधियों से निर्धारित अक्षम निधियों से	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	13,74,517	10,57,838
अन्य आय	18	6,664	80,563
कुल (क)		12,20,16,216	12,70,54,100
व्यय			
तैयार माल एवं प्रगतिगत कार्यों में वृद्धि/कमी	19	-	-
स्थापना व्यय	20	1,67,66,935	1,77,43,620
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,78,18,548	2,60,68,576
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	9,45,33,000	8,32,98,200
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध योग-अनुसूची 8)	8	9,22,426	9,61,480
कुल (ख)		13,00,40,909	12,80,71,876
व्यय के संबंध में अधिक आय (क-ख)		(80,24,693)	(10,17,776)
विशेष रक्षित निधि को स्थानांतरण (विवरण दें)		-	-
सामान्य रक्षित निधि को/से स्थानांतरित		-	-
कोष/पूंजी निधि के लिए बैलेस किया जा रही बचत आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणी		-	(10,17,776)
राशि/पूंजी निधि के लिए बैलेस किया जा रहा नुकसान		(80,24,693)	-
महत्वपूर्ण लेखांकान नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणी	25		

वित्तीय विवरण का प्रारूप
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
वर्ष/अवधि की समाप्ति (31.03.2019) पर प्राप्तियां एव भुगतान

(राशि ₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I प्रारंभिक शेष			I व्यय	-	-
(क) हस्तगत रोकड़	-	-	(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	1,80,33,395	1,68,02,514
अग्रदाय	15,000	15,000			
(ख) बैंक शेष	-	-	(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)	37,11,306	21,78,084
(i) बचत खाते में	1,71,72,607	1,73,93,398			
(ii) जमा खाते में	-	-			
(iii) चालू खाते में	-	-			
II प्राप्त अनुदान			II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के प्रति किए गए भुगतान		
(क) भारत सरकार द्वारा	12,00,00,000	11,50,00,000	(निधि अथवा परियोजना के नाम को प्रत्येक परियोजना के संबंध में की गई अदायिगों के ब्यौरों के साथ दर्शाया जाना चाहिए)		

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(ख) राज्य सरकार द्वारा	-	-			
(ग) अन्य स्रोतों से विवरण	-	-	(i) चिड़ियाघरों के लिए सहायता अनुदान	9,45,33,000	8,32,98,200
(पूजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग से दर्शाया जाए)	-	-	(ii) चिड़ियाघरों के निरीक्षण एवं मूल्यांकन	6,18,949	7,76,718
			(iii) अनुसंधान परियोजना	12,70,362	57,95,400
			(iv) प्रशिक्षण कार्यशाला सम्मेलन	1,21,63,460	86,35,766
			(v) वाजा सम्मेलन पर खर्च	-	-
			(vi) शिक्षा और जागरूकता	-	-
			(vii) बंद चिड़ियाघरों के लिए अनुग्रही अदायगी	-	-
			(viii) वन्य प्राणियों का स्थानांतरण	-	-
III. निम्न से निवेशों पर आय			III. किए गए विनिवेश और जमाएं		
चिन्हित/अक्षय निधि	-	-	(क) चिन्हित/अक्षय निधि से भिन्न	-	-
स्व निधियाँ (अन्य निवेश)	-	-	(ख) स्व निधियों से भिन्न (निवेश अन्य)	-	-

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
IV. प्राप्त ब्याज			IV. अचल सम्पत्तियों एवं कार्य शील पूंजी पर व्यय		
(क) बैंक जमा राशियों पर	13,63,478	10,27,301	(क) अचल सम्पत्तियों का क्रय	4,14,400	14,44,578
(क) ऋण अग्रिम आदि	-	-	(ख) कार्यशील पूंजी पर व्यय	-	-
V. अन्य आय विवरण			V. अधिशेष धन/त्रुण की वापसी		
(क) मान्यता को लागू करने से चिड़ियाघरों से प्राप्त फीस	6,35,035	5,90,503	(क) भारत सरकार को	-	85,96,152
(ख) आर टी.आई. के अधीन आवेदन से प्राप्त शुल्क	3,864	3,832	(ख) राज्य सरकार को	-	-
(ग) संगीनार प्रोगाम	-	-	(ग) निधियों के अन्य प्रदायकों को	-	-
VI. उधारी राशि	-	-	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
VII. कोई अथ प्राप्तियां (ब्यौर दें)			VII. अन्य भुगतान (उल्लेख करें)		
(क) विविध प्राप्तियाँ	2,800	1,05,349	(क) टीडीएस का भुगतान	7,69,780	13,45,650
(ख) सीपीडब्ल्यूडी / चिड़ियाघर द्वारा वापसी सहायता अनुदान का अप्रयुक्त शेष	42,57,660	1,03,25,196	(ख) प्रतिभूति जमा (जारी)	20,000	25,000
(ग) कार/स्कूटर	9,000	3,488	(ग) समायोज्य राशि	-	-

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अग्रिम पर ब्याज			(अन्य विभागी द्वारा)		
(घ) प्रतिभू जमा राशि	20,000	20,000	(घ) कर्मचारियों को अग्रिम	20,000	-
(ङ) अग्रिमो की वसूली	-	-	(ङ) अन्य विभागों को भुगतान	34,47,900	16,81,447
(च) टीडीएस की वसूली	7,69,780	13,45,650	(च) अग्रिम खरीद के लिए भुगतान	-	-
(छ) स्टाफकार के संबंध में वसूली	64,356	73,356	(छ) वन्य जीव सप्ताह समारोह के लिए भुगतान	-	-
(ज) लाइसेंस शुल्क	-	-	(ज) नवीकरण के लिए केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग के लिए भुगतान	-	-
(झ) वेतन वसूली सम्पत्तियों की अन्य विभाग ब्रिकी से आय द्वारा समायोजन	34,45,500	16,81,807	(झ) भुगतान और प्रीपेड खर्च	-	-
(ञ) सेल प्रोसिड आर्ष एसेसटस	-	-	(ञ) मान्यता के आवेदन के साथ चिड़ियाघरों से प्राप्त शुल्क वापसी	-	-
(ट) अव्यायेत अनुदान सहयता राशि	-	-	(ट) आर.टी.आई से प्राप्त शुल्क वापसी	-	-
(ठ) छुट्टी वेतन एवं पेशन अशंदान का प्रेषण	7,28,604	1,01,955			
(ड) प्राप्तियां अन्य संगठनों के सन्दर्भ					

प्राप्तियों	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
में					
- वन्यजीव सप्ताह उत्सव	-	-			
- वाजा के लिये पंजीकरण शुल्क	-	-			
(ढ) मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य व्यय	-	-			
(ड) प्रतिनियुक्तों के पेंशन लाभ और पीपीएफ का प्रेषण	43,703	80,281	VIII. अंत शेष		
(ट) टेलिफोन हेतु जमा प्रतिभूति राशि की वापसी	-	-	(क) हाथ में शेष		
			अग्रदाय	15,000	15,000
			(ख) बैंक शेष	-	-
			बचत खाते में	1,35,13,835	1,71,72,607
			जमा खाते में	-	-
			चालू खाते में	-	-
कुल	14,85,31,387	14,77,67,116	कुल	14,85,31,387	14,77,67,116

वित्तीय विवरण
(गैर-लामकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 1 – आधारभूत निधि/पूँजी निधि

(राशि ₹ में)

अनुसूची 1 – आधारभूत निधि/पूँजी निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,01,57,459	2,11,50,235
जोड़ें: आधारभूत निधि/सीजेडए निधि के संबंध में अंशदान	-	25,000
जोड़ें: आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरित निवल आय का शेष	-	-
घटाए: शुद्ध व्यय का शेष	(80,24,693)	(10,17,776)
आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	1,21,32,766	2,01,57,459

वित्तीय विवरण
 (गैर-लाभकारी संगठन)
 इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
 अनुसूची 2 – भण्डार और अधिशेष

(राशि ₹ में)

अनुसूची 2 – भण्डार और अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. संपत्ति कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुर्नमूल्यांकन कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल		-		-

वित्तीय विवरण
(गैर-लामकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 3 – बंदोबस्ती/निर्धारित निधि

(राशि ₹ में)

अनुसूची 3 – बंदोबस्ती/निर्धारित निधि	निधिवार को तोड़ने			कुल		
	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ) निधि के प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
ब) निधि के अलावा	-	-	-	-	-	-
क) दान	-	-	-	-	-	-
ख) निधि के निवेश से प्राप्त आय	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य वृद्धियां (विवरण दें)	-	-	-	-	-	-
कुल (अ+ब)	-	-	-	-	-	-
स) निधियों का उद्देश्यों की दिशा में उपयोग व्यय						
क) पूंजीगत व्यय						
– अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-
– अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
ख) राजस्व व्यय						
– वेतन मजदूरी और भत्ते	-	-	-	-	-	-
– किराया	-	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल (स)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (अ+ब+स)	-	-	-	-	-	-

टिप्पणियाँ:-

1. अनुदान से जुड़ी शर्तों के आधार पर, संबंधित मद का प्रकटीकरण किया जाएगा।
2. केन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त योजनागत निधि को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाए एवं दूसरी निधियों के साथ न मिलाया जाए।

वित्तीय विवरण
(गैर-लामकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारी

(राशि ₹ में)

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारी	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार				
3. वित्तीय संस्था		-		-
क) सावधि ऋण				
– अर्जित और देय ब्याज	-			-
4. बैंक		-	-	-
क) सावधि ऋण				
-- अर्जित और देय ब्याज	-			-
ख) अन्य ऋण (विवरण दें)	-		-	-
--अर्जित किए गए ब्याज और कारण				
5. अन्य संस्थाएँ और अभिकरण		-		-
6. डिबेंचर और बॉण्ड्स		-	-	-
7. अन्य (विवरण दें)				
योग		-		-

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि।

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी

(राशि ₹ में)

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्था	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (विवरण दें)	-	-
5. अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	-	-
6. डिबेचर एण्ड बॉण्ड्स	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (विवरण दें)	-	-
योग	-	-

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि।

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 6 – अस्थगित जमा धन दायित्व

(राशि ₹ में)

अनुसूची 6 – अस्थगित जमा धन दायित्व	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपकरणों और अन्य सम्पत्तियों से बंधक स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
योग	-	-

वित्तीय विवरण
(गैर-लामकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 के अनुसार तुलन-पत्र अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ. चालू देयताएं		
1. स्वीकृत बिल		
2. विविध लेनदारः	-	-
क) लाम के लिए	-	-
ख) अन्य (वाजा के लिये खर्च)	1,47,000	1,47,000
3. प्राप्त अग्रिम	-	-
प्रोद्भूत ब्याज परंतु निम्न पर देय नहीं :	-	-
क) सुरक्षित ऋण/उधार राशियाँ	-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार राशियाँ	-	-
4. अन्य चालू देयताएं	-	-
क) अव्ययित सहायता अनुदान	42,57,660	-
ख) वापसी-योग्य प्रतिभूते – वन्यजीव सप्ताह समारोह व बकाया राशि	5,559	5,559
ग) सुरक्षा वापसी	1,55,000	1,55,000
कुल (क)	45,65,219	3,07,559
ब. प्रावधान		
1. कर-आदान हेतु	-	-
2. उपदान	-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-
क) अधिवर्षिता योजना के लिए अंशदान	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटी/दावे	68,350	-
6. अन्य (विवरण दें) वेतन देय	9,28,473	11,26,066
7. देय टेलिफोन प्रभार	2,125	6,506
8. छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	2,97,706
9. टीए परिचालन प्रभार	18,206	67,392

वित्तीय विवरण

(गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 16 रॉयल्टी और प्रकाशन आदि से आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य (विवरण दें)	-	-
योग	-	-

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची – 17 सावधि जमा पर अर्जित ब्याज/बचत खातों/ऋण

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंक के साथ	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ	-	-
ग) संस्थान के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंक के साथ	13,65,517	10,54,350
ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ	-	-
ग) डाकघर बचत खातों	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋण पर		
क) कर्मचारियों/स्टॉफ	9,000	3,488
ख) अन्य	-	-
4. देनदार और प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
योग	13,74,517	10,57,838

वित्तीय विवरण
 (गैर-लाभकारी संगठन)
 इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
 31.03.2019 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
 अनुसूची – 18 अन्य आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:	-	-
क) स्वामित्व वाली परिसम्पत्ति	-	20,000
ख) अनुदान से सृजित परिसम्पत्ति या निःशुल्क प्राप्त परिसम्पत्ति	-	-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क (आरटीआई)	3,864	3,832
4. विविध आय	2,800	56,731
योग	6,664	80,563

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 19 तैयार माल और प्रगति में काम के शेयर में वृद्धि/कमी

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम रहतियां		
- तैयार माल	-	-
- प्रगतिगत कार्य	-	-
ख) आरंभिक रहतियां		
- तैयार माल	-	-
- प्रगतिगत कार्य	-	-
निवल वृद्धि /कमी (क- ख)	-	-

वित्तीय विवरण
(गैर-लामकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची – 20 संस्थापना व्यय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	1,49,19,261	1,53,78,513
ख) भत्ता और बोनस	1,51,222	55,264
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधियों में अंशदान (विवरण)		
अधिवार्षिता योजना	6,77,632	5,18,255
ड) कर्मचारी कल्याण व्यय	99,730	1,37,142
च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर व्यय एवं सेवांत हित लाभ	-	-
छ) अन्य (विवरण दें)		-
छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	9,19,090	16,54,446
योग	1,67,66,935	1,77,43,620

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची – 21 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) क्रय (स्टेशनरी)	2,60,330	2,57,821
ख) वाहन एवं ढुलाई	1,19,976	35,990
ग) मरम्मत एवं रखरखाव	55,502	11,226
घ) वाहन संचालन व्यय	1,62,089	1,57,676
ड.) वाहन रखरखाव	99,431	55,980
च) टिकट, टेलिफोन एवं संचार व्यय	1,00,627	1,01,870
छ) मुद्रण, प्रकाशन और पत्रिकाएं	3,07,760	1,76,456
ज) यात्रा व्यय	17,33,192	9,39,259
झ) वैधानिक व्यय	67,982	44,880
ञ) आतिथ्य व्यय	93,494	1,13,239
ट) विज्ञापन एवं प्रचार	-	-
ठ) अंकेक्षण शुल्क	-	-
ड) अन्य (विवरण दें)	-	-
बैंक व्यय	-	9,839
अन्य व्यय	6,77,002	50,487
सदस्यता शुल्क	68,350	2,73,402
किराया	-	-

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुपयोगी सम्पत्तियों की बिक्री पर घाटा	-	26,041
(त) इमारत मरम्मत एवं रखरखाव	-	10,374
योग (I)	37,45,735	22,64,540
II विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान		
प्रशिक्षण, कार्यशाला और सम्मेलनों पर व्यय	1,21,63,460	86,35,766
वाजा कान्फ्रेंस पर व्यय	-	-
अनुसंधान परियोजनाओं पर व्यय	12,90,404	57,95,400
चिड़ियाघर की निगरानी और मूल्यांकन	6,18,949	7,76,718
बंद मोबाइल चिड़ियाघरों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान	-	-
पशुओं के परिवहन	-	-
योग (II)	1,40,72,813	1,52,07,884
III मंत्रालय को वापसी योग्य जीआईए की अव्ययित शेष राशि	-	85,96,152
योग (I+II+III)	1,78,18,548	2,60,68,576

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 22 अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि ₹ में)

अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान		
विभिन्न चिड़ियाघरों को जारी अनुदान	9,45,33,000.00	8,32,98,200.00
मंत्रालय को वापसी योग्य अप्रयुक्त सहायता अनुदान	-	-
ख संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
योग	9,45,33,000.00	8,32,98,200.00

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची – 23 ऋणों पर ब्याज/निर्धारित ऋण

(राशि ₹ में)

ऋणों पर ब्याज/निर्धारित ऋण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) निर्धारित ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
ग) अन्य (विवरण दें)	-	-
योग	-	-

वित्तीय विवरण
(गैर-लामकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2019 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची – 24 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण का आधार

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के तहत तैयार किया जाता है और ये सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण पद्धतियों के अनुसार हैं।

2. अचल सम्पत्तियां

अचल सम्पत्तियां अधिग्रहण की लागत पर निश्चित होती हैं, जिनमें उनके अधिग्रहण घटा संचित मूल्यहास से संबंधित भाड़ा, शुल्क एवं कर शामिल हैं।

3. मूल्यहास

अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास आय कर अधिनियम के उपलब्ध दरो पर ह्रासित मूल्य पर प्रदान किया जाता है। सितम्बर के बाद अर्जित परिसम्पत्तियों का सम्पत्ति हेतु निर्धारित मूल्यहास के आधे दर पर अवमूल्यन किया गया है।

4. सामान्य

लेखाकरण नीतियों का अन्यथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण पद्धतियों के सामंजस्य में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
अनुसूची – 25 आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियां करण
31.03.2019 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

1. आकस्मिक देयताएं
सत्ता के प्रति दावों को ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता – शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) ।
2. पूंजी प्रतिबद्धताएं
शेष संविदाओं के अनुमानित मूल्य प्रदान नहीं किए गए हैं (अग्रिमो का शुद्ध) –शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य)।
3. चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम
प्रबंधन की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाए गए समग्र राशि के बराबर वसूल पर मूल्य है।
4. पूर्ववर्ती वर्ष के लिए तदनुरूपी आंकड़ों को जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
5. अनुसूची 1 से 25 को 31 मार्च, 2019 के अनुसार तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते को तुलन पत्र के अभिन्न अंग के रूप में सलंगन किया गया है।
6. विभिन्न चिड़ियाघरों को जारी की गई राशि को उस वर्ष के लिए, जिस वर्ष में इसे जारी किया गया था, व्यय के रूप में हिसाब में लिया गया है।
7. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर पिछले वर्ष का मूल्यह्रास 60 की जगह 25 प्रतिशत की दर से रु 2,72,744/- लगाया गया था जिसके कारण 25 प्रतिशत के दर से मूल्यह्रास रु1.95 लाख लगाया था जिसके परिणामस्वरूप पिछले लेखा परीक्षा पैरा अवलोकन के अनुसार व्यय के विस्तार के अलावा संपत्तियों की ओवरस्टैटमेंट भी

हुई थी। इस वर्ष में अमूर्त वस्तुओं (इंनटेजिबल संपत्तियों) पर सुधारात्मक दरों का शुल्क लिया गया है।

8. पिछले वर्ष के लेखा परीक्षा पैरा के अनुसार, वर्ष 2019 के पहले तीन महीनों के लिये देय वाजा और सीपीएसजी सदस्यता शुल्क का प्रावधान लेखा वर्ष में किया गया है।
9. जैसा कि दिनांक 15.07.2019 से प्राधिकरण के खातों की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा यह कहा गया कि अनुसूची 13 अनुदान/सब्सिडी के अर्न्तगत दिखाये गये चिड़ियाघरों से प्राप्त रू42.58 लाख का अनुप्रयुक्त अनुदान को अनुसूची 7 चालू दायित्वों के अर्न्तगत भी दिखाया जाना चाहिये। तदनुसार आवश्यक सुधारात्मक उपाय संशोधित खातों में कर लिये गये जिसे दिनांक 6.8.2019 को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन के लिये रखा गया।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग नई दिल्ली 110002


DGA/SD/EA/SAR/CZA/2019-20/999

दिनांक

15 JAN 2020

सेवा में,

Member Secretary,
Central Zoo Authority, (MoEF&CC),
B-1 Wing, 6th Floor, Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003.



विषय: Separate Audit Report on the Accounts of Central Zoo Authority, New Delhi for the year 2018-19

महोदय,

मुझे वर्ष 2018-19 के लिए Central Zoo Authority, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

सलमनक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भवदीया,
31/1/20
उप निदेशक (पर्या.ले.)

D/S
15.1.2020
15/1
FO

**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लेखों के
संबंध में अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट**

1. हमने 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय चिड़ियाघर के संबद्ध तुलन-पत्र के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के धारा 38 जी के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के तहत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा के लेखा परीक्षा की। ये वित्तीय विवरण केन्द्रीय चिड़ियाघर के प्रबंधन के जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गिकरण, बेहतर लेखाकरण पद्धतियों में अनुरूपता, लेखाकरण मानक और प्रकटीकरण मानक आदि के संबंध में लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ निहित हैं। कानून, नियम एवं विनियमन (उपयुक्तता एवं नियमता) और दक्षता सह-कार्य-निष्पादन पहलुओं आदि से साथ कंपनियों के संबन्ध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, को अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/ सी ए जी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है।
3. हमने अपनी लेखा परीक्षा सामान्य तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम वित्तीय विवरणों को भौतिक गलतियों से मुक्त कर रहे हैं या नहीं, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षा की योजना बनाते हैं। एक लेखा-परीक्षा में जांच, एक परीक्षण के अद्वार पर, वित्तीय विवरणों में मात्र और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। एक लेखा-परीक्षा में प्रबंधन के द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करना शामिल है, साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रत्यूती का विकास करना शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:
 - (i) हमने समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी बेहतर जानकारी एवं विश्वास से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
 - (ii) इस प्रतिवेदन से संबन्धित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्त एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत फॉर्मेट में तैयार किया गया है।

- (iii) हमारी राय में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा उचित लेखा बहियों और अन्य सगत रिकार्डों को बनाए रखा गया है। जैसा कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के धारा 38जी के तहत अपेक्षित है, जहां तक कि ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है।
- (iv) हम आगे सूचित करते हैं कि:

क. आय एवं व्यय खाता

क.1 प्रशासनिक व्यय (अनुसूची - 20) रु. 1.68 करोड़

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने स्थापना और अन्य प्रशासनिक खर्चों के तहत रु.6.72 लाख की राशि बुक की, जो मार्च 2014 से मार्च 2016 की अवधि के लिए वेतन और पेंशन योगदान के अंशदान से संबंधित थी। इसमें से, रु.2.98 लाख की राशि अनुसूची- 7 में वेतन और पेंशन अंशदान के प्रावधान के अंतर्गत बुक की गई थी। इस प्रकार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 2018-19 के दौरान व्यय को रु.3.74 लाख रुपये से अधिक कर दिया था।

ख. सामान्य:

ख.1 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वार्षिक खातों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जो कि एकरूप प्रारूप और 15 एएस का उल्लंघन करता है।

ग. सहायता अनुदान राशि

वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को रु.1200.00 लाख का अंशदान और रु.113.44 लाख की अन्य प्राप्तियाँ प्राप्त हुईं, इसके अलावा बैंक/अग्रदाय के आरंभिक शेष राशि रु.171.87 लाख थी। कुल जमा राशि रु.1485.31 लाख से प्राधिकरण ने रु.1350.02 लाख का भुगतान कर बैंक/अग्रदाय में अंतिम शेष रु.135.29 लाख छोड़ा गया।

घ. खातों में संशोधन का प्रभाव:

लेखा परीक्षा के दौरान खातों में संशोधन के कारण, आय पर व्यय की अधिकता होने के कारण रु.39.33 लाख बढ़ गया और पूंजी निधि उसी सीमा तक कम हो गए।

ड. प्रबंधन पत्र

त्रुटियाँ जिनको लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, प्रबंधन पत्र के द्वारा सदस्य सचिव के संज्ञान के लिए आवश्यक संरचनात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पृथक रूप से जारी किया गया है

- (i) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबन्धित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और आय एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुसार हैं।

(ii) हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखाकरण नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित कहे गए वित्तीय विवरण तथा ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों के अधीन एव इस रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले, सामान्य तौर पर भारत में स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूपता में एक सही, और उचित दृष्टिकोण देते हैं ।

क. जहां तक यह 31 मार्च, 2019 के अनुसार केन्द्रीय चिडियाघर, नई दिल्ली के प्रशासन कार्यों के तुलनपत्र से संबंधी हैं, और

ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अतिरिक्त राशियों के आय एवं व्यय लेखा से संबन्धित है ।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के पक्ष और के लिए

महानिदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक विभाग)

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रधान वेतन एवं लेखा अधिकारी के आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि मार्च, 2017 तक पूरा हो चुका था। इसमें कुल 10 पैरा, जनवरी, 2019 तक बकाया है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

- (i) 2009-10 से 2017-18 तक जारी अनुदान सहायता के संबंध में रु.265.88 लाख राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी 8 चिड़ियाघरों से आने बहुप्रतीक्षित हैं।
- (ii) बैंक समाधान विवरण: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मार्च/ अप्रैल, 2018 के जो बैंक मिलान विवरण प्रस्तुत किए थे, उनमें कोई भी ऐसे चेक नहीं है, जिसका भुगतान फरवरी, 2018 तक बकाया हो।
- (iii) संस्थानों की अनुदान सहायता से बनाई गई सम्पत्तियों का रख-रखाव: सामान्य वित्तीय नियम 233 के अनुसार, पूंजीगत सम्पत्तियों के उत्पत्ति के लिए अनुदान सहायता से उत्पन्न सम्पत्तियों को रखना या निपटान करना अनुदान संस्थान प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही कर सकता है। किन्तु प्राधिकरण ने विभिन्न अनुदान संस्थानों को पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए जारी की गई अनुदान सहायता से उत्पन्न सम्पत्तियों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा।
- (iv) खातों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि मानदेय के रूप में सात आउटसोर्स / संविदात्मक कर्मचारियों, प्रत्येक को रु.2500 का अनियमित भुगतान किया गया था। इसी प्रकार, चिड़ियाघर के मूल्यांकन के लिए मानदेय के रूप में रु.10,000 और रु.13,000 का भुगतान दो अधिकारियों को किया गया। इसलिए रु.40,500 का भुगतान अनियमित था।

3. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

अचल और उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन मार्च, 2019 तक संचालित किया जा चुका है।

4. परिसंपत्ति के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन मार्च, 2019 तक संचालित किया जा चुका है।

5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता:

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमित था।

6. (i) स्थिर अवशेष

खातों की जांच में तुलन पत्र के विभिन्न अनुसूचियों में निम्नलिखित स्थिर अवशेष राशियाँ प्रकट हुईं:

क्र.स.	अनुसूची/ मद	31.03.2019 तक शेष धनराशि	वर्ष भर पड़ी धनराशि
1.	अनुसूची 7 चालू देयताएँ - विविध लेनदार - अन्य (वाजा व्यय)	1,47,000.00	2014-15
2.	चालू देयताएँ - वन्यजीव सप्ताह की अग्रिम राशि की वापसी	5,559.00	2015-16
3.	अनुसूची 11-चालू संपत्ति - केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अग्रिम राशि का भुगतान	5,05,127.00	2015-16

यह स्थिर अवशेष राशि खातों में लंबे समय से खड़े हैं जैसा कि इन धनराशियों का भुगतान करना/वसूली करना आवश्यक (जैसा भी मामला हो) था, जिन्हें बिना किसी औचित्य के लंबित रखा गया। प्राधिकरण द्वारा इन शेष राशियों को निपटाने के प्रयास किए जाँएँ।

(ii) चालू संपत्तियां ऋण और अग्रिमों (अनुसूची - 11) रु. 1.45 करोड़

वर्ष 2018-19 के दौरान मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान में 23 चिड़ियाघर डिफॉल्ट हुए थे। हालांकि, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इन संस्थाओं से प्राप्त होने वाली फीस के अलावा रु.2.30 लाख की अर्जित आय को ध्यान में नहीं रखा, जिसके परिणामस्वरूप रु.2.30 लाख की चालू संपत्तियों कम होने के अतिरिक्त आय कम हो गया। रु.2.30 लाख में से, रु.0.40 लाख वर्ष 20-19 से पूर्व अवधि का था।



उप निदेशक (पर्या.ले.)



केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
सांघधिक निकाय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अन्तर्गत

बी-1 विंग, छठा तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन
सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
टेलीफोन नंम्बर : 011 24367846, 24367851, 52 फैक्स : 011 24367849
वेबसाइट : www.cza.nic.in ई-मेल : cza@nic.in